प्रस्तावना

मंत्रालय के उद्देश्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार सेवा और दस्तकारों के प्रशिक्षण के विकास तथा व्यवस्था के अतिरिक्त श्रम मामलों के बारे में नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। इन मामलों में औद्योगिक संबंध, श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सहयोग, श्रमिक विवादों का निपटान, मजदूरी दरों तथा कामकाज व सुरक्षा की अन्य दशाओं का विनियमन, महिला श्रमिक तथा बाल श्रमिक, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

रेल, खानों, तेल–क्षेत्रों, एक से अधिक राज्य में शाखाएं रखने वाली बैंकिंग कम्पनियों तथा बीमा कम्पनियों, मुख्य पत्तनों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नियोजित श्रमिकों के मामले को छोड़कर जिनके संबंध के केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है उपर्युक्त मामलों के संबंध में नीति को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण और निर्देश के साथ संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार श्रम मामलों, जिनमे रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी मामले शामिल हैं, में आवश्कता अनुसार तकनीकी सलाह भी देती है।

कार्यक्रम

श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना और मजदूरों तथा कामकाज की अन्य दशाओं को विनियमित करना।

औद्योगिक संबंध सुधार के लिए श्रम कानून पंचाटों, करारों, अनुशासन संहिता आदि के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, उन इकाइयों के संबंध में जिनमें केन्द्र सरकार समुचित सरकार है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में श्रम कानूनों औद्योगिक संबंध, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन का अध्ययन करना।

खानों और कारखानों में काम–काज की दशाओं और सुरक्षा को विनियमित करना।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति को बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना और मजदूरी भत्तों तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में आंकड़े रखना।

सांख्यिकी एकत्र करना, उन्हें प्रकाशित करना, विभिन्न श्रम–विषयों के बारे में जांच–पड़ताल, सर्वेक्षण और अनुसंधान एवं अध्ययन करना।

दक्षता के विभिन्न स्तरों पर शिल्पकारों के रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।

अध्ययन एवं मार्ग–दर्शन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाना।

खनन उद्योगों में नियोजित श्रमिकों तथा बीड़ी श्रमिकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था करना।

परिवार पेन्शन व जीवन बीमा तथा जमा संबध बीमा आदि द्वारा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

औद्योगिक संबंध और सामान्यता श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं शुरू करना :

श्रमिकों के सभी वर्गों को उनकी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता के लिए शिक्षित करना।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संचालन का अनुवीक्षण करना।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत ढांचा।

संगठनात्मक ढांचा

उपर्युक्त उद्देश्यों को, संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से तथा स्वायत निकायों से पूरा करने का प्रयास किया गया है, इनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण 'अभिकरण' नीचे दर्शाये गए हैं :–

1. रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय।
2. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)।
3. कारखाना सलाह सेवा और श्रम विकास केन्द्र महानिदेशालय।
4. खान सुरक्षा महानिदेशालय।
5. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो।
6. केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण।
7. श्रम कल्याण आयुक्त के कार्यालय।
8. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन।
9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
10. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड।
11. वी. वी. गिरि, राष्ट्रीय श्रम संस्थान।
12. विवाचन बोर्ड, (जे.सी.एम.)।

कार्य सम्पादन संबंधी सारांश

श्रम ब्यूरो श्रम आंकड़ों की मुख्य एजेन्सी के रूप में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के संगहण, संकलन तथा वितरण में कार्यरत है।

वर्ष के दौरान की गई वास्तविक प्रगति को नियमित रूप से मॉनीटर करने के लिए श्रम ब्यूरो ने मॉनीटरिंग तंत्र तथा लोक सूचना प्रणाली आरंभ की है। उदाहरणतः माह के दौरान ब्यूरो के क्रियाकलापों के संबंध में की गई प्रगति का ब्योरा देते हुए मासिक अर्धसरकारक पत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। इसके अलावा श्रम ब्यूरो की रिपोर्टों/प्रकाशनों तक पहुँच उपलब्ध करवाते हुए श्रम ब्यूरो की वेबसाइट का नियमित अद्यतन किया जाता है। लोक शिकायतों के निवारण तथा उन्हें मॉनीटर करने हेतु ब्यूरो द्वारा सेवोत्तम शिकायत प्रणाली पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

श्रम ब्यूरो के वर्ष 2013–14 के लिए आउटकम बजट में शामिल हैंः–

अध्याय I परिचयात्मक टिप्पणी के रूप में है जिसमें प्लान तथा नॉन प्लान क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए श्रम ब्यूरो के सभी कार्यों का ब्योरा दिया गया है। इसमें उन उद्देश्यों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें इन क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

अध्याय II में आगामी वर्ष अर्थात् 2013–14 के लिए आउटले तथा आउटकम पर सूचना सारणीबद्ध रूप में अनुबंध 11 में दी गई है।

अध्याय IV वर्ष 2012–13 के लिए ब्यूरो द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों के रूप में भूतपूर्व निष्पादन को सूचित करता है।

अध्याय V में वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के लिए व्यय तथा अनुमोदित परिव्यय तथा वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित परिव्यय दिया गया है।

अध्याय–1

मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची, इसके अधिदेश, लक्ष्य और नीति

अनुसंधान एवं सांख्यिकी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो ने श्रम के विभिन्न पहलुओ पर आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा वितरण के साथ–साथ श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन एवं रख–रखाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रम ब्यूरो श्रम से संबंधित मामलों पर अध्ययन एवं सर्वेक्षण भी आयोजित करता है।

राज्य / जिला / इकाई स्तर पर (i) श्रम आंकड़ों तथा (ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ब्यूरो कई केन्द्रीय एजेन्सियों तथा राज्यों को आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा कई नियमित तथा तद्र्थ प्रकाशन भी निकाले जाते हैं।

इसके अतिरिक्त श्रम ब्यूरो के महत्वपूर्ण योजना तथा योजनेतर कार्य इस प्रकार हैः–

1. (क) औद्योगिक श्रमिकों (ख) ग्रामीण श्रमिकों तथा (ग) कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों में भी चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक तथा मजदूरी दर सूचकांक का संकलन एवं रख–रखाव।

2. कानून द्वारा यथानिर्धारित तथा स्वैच्छिक आधार पर भी विवरणियां एकत्रित करके कर्मकार वर्ग के संरक्षण एवं कल्याण के लिए अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर समीक्षा कर उन्हें विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करना।

3. संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के अन्य वर्गों तथा ग्रामीण / कृषि क्षेत्रों के श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने की दृष्टि से नियमित / तदार्थ आधार पर सर्वेक्षण एवं अनुभवजन्य अध्ययन आयोजित करना।

4. श्रम आंकड़ों की प्रतिक्रिया तथा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रशिक्षण देना

5. इण्डियन लेबर जरनल (मासिक), इण्डियन लेबर स्टैटिसटिक्स (वार्षिक), इण्डियन लेबर ईयर बुक (वार्षिक), पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिसटिक्स (वार्षिक) तथा विभिन्न श्रम अधिनियमनों की समीक्षा (वार्षिक) जैसे नियमित प्रकाशन तथा अन्य तद्र्थ प्रकाशन / सर्वेक्षण रिपोर्टे निकाल कर श्रम आंकड़ों का प्रचार।

श्रम ब्यूरो के योजना कार्यों का विवरण इस प्रकार हैः–

श्रम ब्यूरो इसकी योजना स्कीम–''श्रम एवं रोज़गार सांख्यिकीय पद्धति'' के तहत निम्नलिखित कार्यों को करता है।

(I) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः

श्रम ब्यूरो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की निम्नलिखित श्रृंखलाओं का प्रतिमाह संकलन एवं रख–रखाव करता हैः–

(क) 78 चयनित औद्योगिक केन्द्रों तथा अखिल भारत के संबंध में आधार 2001=100 पर औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) 20 राज्यों तथा अखिल भारत के संबंध में आधार 1986–87=100 पर ग्रामीण तथा कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिकः

औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो निश्चित समय में श्रमिक वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित बास्किट के मूल्यों में परिवर्तन की दर को मापता है, का संकलन तथा रखरखाव श्रम ब्यूरो द्वारा अक्तूबर, 1946 में इसकी स्थापना से किया जा रहा है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कई तरह से प्रयोग किया जा रहा है जैसेः–

(i) सरकारी तथा निगमित क्षेत्र में लाखों श्रमिकों/कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन तथा अस्थिर महंगाई भत्तों का निर्धारण।

(ii) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन।

(iii) देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मापना

(iv) सरकार द्वारा नीति निर्धारण हेतु

(v) शोधकर्ताओं द्वारा विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए

ये सूचकांक मूल्य एवं निर्वाह लागत आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित मानक कार्यपद्धति के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति पर संकलित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 2001=100 पर वर्तमान श्रृंखला वर्ष 1999–2000 के दौरान 78 चुनिन्दा औद्योगिक केन्द्रों पर आयोजित श्रमिक वर्ग पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर संकलित की जा रही है। ये सर्वेक्षण औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार 1982=100 पर पूर्व श्रृंखला के अद्यतन हेतु तथा उसको बदलने के लिए आयोजित किए गए थे। रोज़गार के 7 क्षेत्र अर्थात् कारखाना, खानें, बागान, रेलवे, मोटर परिवाहन उपक्रम, विद्युत उत्पादन तथा प्रतिष्ठान तथा पोत एवं गोद सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार 2001=100 पर वर्तमान श्रृंखला जनवरी, 2006 के सूचकांक से प्रकाशित कर दी गई है। ये सूचकांक नियमित रूप से अनुवर्ती माह के अंतिम कार्यदिवस पर मासिक आधार (केन्द्रवार एवं अखिल भारत) पर संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिकः–

कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1986–87=100 पर 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए मासिक आधार पर संकलित किया जाता है तथा अनुवर्ती माह के 20वें दिन प्रकाशित किया जाता है। इन सूचकांकों को प्रैस नोट तथा मासिक सूचकांक पत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन सूचकांकों को प्रैस नोट तथा मासिक सूचकांक पत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सूचकांक श्रम ब्यूरो के मासिक प्रकाशन ''इण्डियन लेबर जनरल'' में भी प्रकाशित किए जाते है तथा प्रतिमाह श्रम ब्यूरो के वेबसाइट पर डाले जाते है।

खुदरा मूल्य सूचकांकः

आधार 2001=100 पर औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन हेतु एकत्रित मूल्य आंकड़ों के आधार पर श्रम ब्यूरो प्रतिमाह 78 चयनित केन्द्रों के लिए शहरी क्षेत्रों में 31 चयनित वस्तुओं का मासिक खुदरा मूल्य सूचकांक संकलित करता है। ये सूचकांक प्रतिमाह सिविल आपूर्ति विभाग, भारत सरकार को इन वस्तुओं के मूल्यों की जांच हेतु भेजा जाता है ताकि इन आवश्यक मदों के मूल्यों की जाँच/नियंत्रण हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके।

ग्रामीण श्रम अन्वेषण

ग्रामीण श्रम अन्वेषण (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक सहित) के तहत तीन क्रियाकलापों को करने का प्रयास किया जाता है अर्थात् (i) ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित पंचवर्षीय आंकड़ों पर आधारित ग्रामीण श्रम अन्वेषण रिपोर्टों का संकलन एवं प्रकाशन (ii) आधार 1986=87=100 पर कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन एवं प्रकाशन। (iii) 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए 18 कृषि तथा गैर कृषि व्यवसायों के संबंध में मजदूरी दर आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन।

विभिन्न लक्ष्य समूह अभिमुख निर्धनता विरोधी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्धारण तथा कार्यान्वयन द्वारा विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन भारत सरकार का प्रयास रहा है। इस तरह ऐसे प्रभावी कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु पूर्ण आंकड़ों की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण श्रम अन्वेषण, विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं अर्थात् रोज़गार एवं बेरोज़गरी, उपभोग व्यय, ऋणग्रस्तता तथा ग्रामीण एवं कृषि श्रमिकों की मजदूरी एवं उपार्जन पर पंचवर्षीय आधार पर आंकड़े एकत्रि तथा विश्लेषित करता है। कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला के अद्यतन हेतु भारत आरेख तैयार करने के लिए ग्रामीण/कृषि श्रमिकों के पारिवारिक उपभोग व्यय पर आंकड़े उपलब्ध करवाना भी ग्रामीण श्रम अन्वेषण का उद्देश्य है। प्रथम कृषि श्रमिक अन्वेषण 1950–51 में तथा द्वितीय 1956–57 में आयोजित किया गया। सभी ग्रामीण श्रमिक परिवारों को सम्मिलित करने हेतु अनुवर्ती अन्वेषणों के कार्यक्षेत्र में विस्तार कर दिया गया था। इस तरह श्रृंखला में तृतीय अन्वेषण जिसे प्रथम ग्रामीण श्रम अन्वेषण के नाम से जाना जाता है। 1963–65 में तथा द्वितीय अन्वेषण 1974–75 में आयोजित किया गया। तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवाँ, छठा, सातवाँ, आठवाँ तथा नौंवा ग्रामीण श्रम अन्वेषण क्रमशः वर्ष 1977–78, 1983, 1987–88, 1993–94, 1999–2000, 2004–2005 तथा 2009–10 में आयोजित किए गए। अन्वेषण के निरन्तर दो दौरों के बीच अन्तर को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण श्रम अन्वेषण के फील्ड कार्य का वर्ष्ज्ञ 1977–78 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सामान्य रोज़गार तथा बेरोज़गारी सर्वेक्षण से एकीकरण के साथ समय श्रृंखला के रूप में निरन्तर

आंकड़े उपलब्ध करवाने हेतु सभी अनुवर्ती अन्वेषण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित किए जा रहे है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित प्रत्येक पंचवर्षीय सर्वेक्षण के तहत एकत्रित कृषि तथा ग्रामीण श्रम परिवारों से संबंधित आंकड़ें श्रम ब्यूरो द्वारा संसाधित किए जाते है तथा कृषि/ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजदूरी एवं उपार्जन, रोज़गार एवं बेरोज़गारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की सामान्य विशेषताओं पर रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के प्रत्येक दौरे के लिए नियमित रूप से निकाली जाती है।

मुख्य उद्देश्य

(i) सामान्य तौर पर ग्रामीण श्रमिकों तथा विशेषतौर पर कृषि श्रमिकों की महत्वपूर्ण सामाजार्थिक विशेषताओं के विश्वसनीय आंकलन तैयार करने हेतु अद्यतन क्रमबद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाना। अन्वेषण के तहत जनसंख्या संरचना, रोज़गार एवं बेरोज़गारी की सीमा, मजदूरी एवं उपार्जन, पारिवारिक उपभोग व्यय तथा ऋणग्रस्तता आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना।

(ii) कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सूचीबद्ध रोज़गारों में न्यूनतम मजदूरियों के निर्धारण एवं संशोधन में महत्वपूर्ण कारक है, की अलग–अलग श्रृंखलाओं के अद्यतन हेतु भारण आरेख तैयार करने के उद्देश्य से उपभोग व्यय पर आंकड़े उपलब्ध करवाना।

(iii) 18 कृषि तथा गैर कृषि व्यवसायों के संबंध में मजदूरी दर आंकड़े एकत्रित, संकलित तथा प्रकाशित करना। ये आंकड़े लागत अध्ययन अयोजित करने तथा राष्ट्रीय/राज्य आय के आंकलन हेतु उपयुक्त नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने हेतु अत्यधिक उपयोगी है।

II सर्वेक्षण एवं अध्ययन

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षणः

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का उद्देश्य चयनित उद्योगों में रोज़गार, मजदूरी दर तथा उपार्जन पर औद्योगिक श्रमिकों के व्यवसायवार आंकड़े उपलब्ध कराना, अन्तरा उद्योग तथा अन्तः उद्योग मजदूरी विभिन्नताओं का अध्ययन करना है।

इस सर्वेक्षण द्वारा रोज़गार तथा मजदूरी दरों पर व्यवसायवार आंकड़ो के अतिरिक्त उपार्जन पर घटकवार आंकड़े भी तैयार किए जाते हैं। इसके साथ रोज़गार तथा मजदूरी दरों पर आंकड़े मजदूरी दर सूचकांक के संकलन के लिए आधार का कार्य करते हैं। अभी तक वर्ष 1958–59, 1963–65, 1974–79 तथा 1985–92 तथा 1993–99 में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के पांच दौर आयोजित किए गए हैं। व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के इन दौरों में शामिल सभी उद्योगों की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का छठा दौर वर्ष 2002 में आरम्भ किया गया तथा इस दौर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों (45 विनिर्माण, 4 खनन, 3 बागान तथा 4 सेवा क्षेत्र) के तहत 56 चुनिन्दा उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

श्रम के विभिन्न वर्गों का सामाजार्थिक सर्वेक्षण

श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के सामाजार्थिक सर्वेक्षण घटक के तहत चार अध्ययन अर्थात् (i) उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजार्थिक स्थितियों पर सर्वेक्षण (ii) असंगठित क्षेत्र में उद्योगों/नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण तथा (iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अखिल भारतीय अध्ययन आयोजित किए जाते हैं।

(I) शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण।

श्रम सांख्यिकी पर कार्यकारी समूह (चतुर्थ योजना) ने फरवरी, 1964 में आयोजित अपनी बैठक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित श्रमिकों के कल्याण तथा उनकी स्थितियों में सुधार हेतु अर्थोपाय निर्धारित करने की दृष्टि से उनकी कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े एकत्रित करने का सुझाव दिया। योजना आयोग ने भी अनुभव किया कि ऐसे आंकड़ों की कमी के कारण उनकी स्थितियों में सुधार हेतु योजना बनाने तथा प्रभावकारी उपायों के निर्धारण में अत्यधिक समस्या हो रही थी। राष्ट्रीय श्रम आयोज (1969) ने भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण के महत्व तथा आवश्यकता पर बल दिया।

उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में श्रम मंत्रालय ने निम्नलिखित दो अध्ययन आयोजित करने हेतु यह कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपाः

क) शहरी क्षेत्रों में चार अस्वच्छ व्यवसायोंः (i) स्वीपिंग तथा स्केवैंजिंग, (ii) फ्लेड़ंग तथा टैनिंग (iii) बोन कशिंग तथा (iv) शू–मेकिंग में कार्यरत अनुसूचित जाति श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियां। इन सर्वेक्षणों के लिए श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने दोनों अध्ययनों के सभी तकनीकी विवरणों के मार्गदर्शन, जाँच तथा अनुमोदन हेतु एक अन्तर्विभागीय निर्देशन समिति गठित की है। अब तक अनुसूचित जाति श्रमिकों से संबंधित सर्वेक्षण 9 केन्द्रों में (आगरा, शोलापुर, मद्रास, पटना, इन्दौर, गाजियाबाद, आसनसोल, जालंधर तथा जयपुर) आयोजित किए गए हैं तथा उन पर रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई हैं।

ख) औद्योगिक शहरों में अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की सामाजार्थिक स्थितियाँः

अनुसूचित जनजाति श्रमिकों का सामाजार्थिक अध्ययन 9 केन्द्रों अर्थात् राउरकेला, रांची, सूरत, बैलाडिला, नागपुर, बैलगाँव, बारबिल, वलसाड़, वापी, नवसारी तथा सचिन सहित गुजरात राज्य का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा उड़ीसा राज्य के के. बी. के. क्षेत्र में आयोजित किया गया है। सभी केन्द्रों की रिपोर्टे प्रकाशित कर दी गई हैं।

असंगठित क्षेत्र में नवीनतम सर्वेक्षण जूता तथा अन्य कलात्मक कार्य सहित चमड़ा उद्योग में आयोजित किया गया।

(ii) उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण

राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने असंगठित श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों में विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण आयोजित करने की सिफारिश की। सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु काय श्रम ब्यूरो को सौंपा गया ताकि उनकी स्थितियों में सुधार किया जा सके। श्रम ब्यूरो ने वर्ष 1977–78 में इन सर्वेक्षणों को आयोजित करने हेतु कारवाई आरम्भ की। अब तक इस योजना के तहत ऐसे 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए है तथा सभी सर्वेक्षणों के संबंध में रिर्पोट प्रकाशित कर दी गई हैं।

(iii) उद्योग में महिला श्रमिकों की सामाजार्थिक स्थितियाँ

''उद्योग में महिला श्रमिकों की सामाजार्थिक स्थितियाँ'' क्रियाकलाप ब्यूरो के अनुसंधान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वर्ष 1975 में आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों की तुलना में महिला श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों तथा उन्हें उपलब्ध कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से महिला श्रमिकों पर आंकड़े एकत्रित करना है। पहले इस सर्वेक्षण में केवल संबंधित अधिनियमों के तहत शामिल संगठित क्षेत्र अर्थात् खनन, बागान तथा कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों को शामिल किया जाता था। बाद में कार्यक्षेत्र को यद्यपि महिला श्रमिकों की अधिक संख्या को नियोजित करने वाले असंगठित क्षेत्र तक भी बढ़ा दिया गया था। प्रथमतः संगठित क्षेत्र के उद्योगों अर्थात् खनन, बागान तथा विनिर्माण उद्योगों को शामिल करने के पश्चात् सर्वेक्षण को असंगठित क्षेत्र अर्थात् भवन एवं निर्माण, खादी तथा हस्तकरघा उद्योग (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडू, कर्नाटक, बिहार तथा गुजरात) बीड़ी बनाना, तैयार वस्त्र, अगरबत्ती, चूना तथा काजू संसाधन उद्योग में आयोजित किया गया। अब तक महिला श्रमिकों के 21 सर्वेक्षण रोज़गार के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई है। नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 2008 के दौरन बागान उद्योग में आयोजित किया गया था।

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मूल्यांकन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षणः

इस स्कीम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की सीमा का मूल्यांकन करना है। अब तक मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिलों को छोड़कर 11 राज्यों अर्थात् गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आन्ध्र, प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कृषि के रोज़गार में 12 मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 'बॉक्साइट खानों' तथा 'भवन एवं निर्माण' 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक में बीड़ी बनाने वाले संस्थानों तथा राज्य क्षेत्र में 4 राज्यों अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू तथा महाराष्ट्र में भवन एवं निर्माण संस्थान तथा कर्नाटक तथा गुजरात में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन कशिंग उद्योग में भी अध्ययन आयोजित किए गए हैं।

(v) ''भारत में रोज़गार पर आर्थिक मंदी का प्रभाव'' पर तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण

भारत सरकार ने श्रम ब्यूरो को भारत में रोज़गार पर आर्थिक मन्दी के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु चुनिन्दा क्षेत्रों में निरन्तर आधार पर स्थिति में सुधार होने तक तिमाही ''तत्काल रोजगार सर्वेक्षण''

आयोजित करने हेतु विशेष आदेश जारी किया है। ये सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था में मंदी द्वारा बुरी तरह से प्रभावित 8 चुनिन्दा क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। श्रम ब्यूरों ने अब तक ऐसे 12 ''तत्काल तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण'' आयोजित किए हैं। इन सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई है तथा श्रम ब्यूरो की सरकारी वैबसाइट (www.labourbureau.nic.in) पर उपलब्ध है। 13वां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। बारह तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षणों का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार हैः–

प्रथम तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अक्तूबर–दिसम्बर, 2008 की अवधि के दौरान भारत में रोज़गार पर वैश्विक मन्दी के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु जनवरी, 2009 में आयोजित किया गया था। जनवरी, 2009 के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के आधार पर अक्तूबर–दिसम्बर, 2008 तिमाही के दौरान चुनिन्दा क्षेत्रों में रोज़गार में 4.91 लाख की कमी हुई।

दूसरा तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जनवरी–मार्च, 2009 के दौरान रोज़गार स्थिति के मूल्यांकन हेतु अप्रैल, 2009 में आयोजित किया गया। मई, 2009 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर दिसम्बर, 2008 के पश्चात् जनवरी–मार्च, 2009 तिमाही के दौरान चुनिन्दा क्षेत्रों में 2.76 लाख रोजगारों में वृद्धि देखी गई।

तीसरा तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अप्रैल–जून, 2009 की अवधि के लिए रोज़गार स्थिति के मूल्यांकन हेतु जुलाई, 2009 में आयोजित किया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट उसी माह में प्रकाशित कर दी गई थी। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर मार्च, 2009 की तुलना में इस तिमाही में रोज़गार में 1.31 लाख की कमी आई।

चौथा तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जुलाई–सितम्बर, 2009 तिमाही के लिए भारत में रोज़गार पर आर्थिक मन्दी के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु अक्तूबर, 2009 माह में आयोजित किया गया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट नवम्बर, 2009 में प्रकाशित की गई। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर जून, 2009 की तुलना में सितम्बर, 2009 में चुनिन्दा क्षेत्रों में रोजगार में 4.97 लाख की बढ़ोतरी हुई।

पांचवाँ तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अक्तूबर–दिसम्बर, 2009 की अवधि के लिए जनवरी, 2010 के तीसरें सप्ताह में आयोजित किया गया। फील्ड कार्य फरवरी, 2010 में पूरा किया गया था। सितम्बर, 2009 के पश्चात् दिसम्बर, 2009 में समग्र स्तर पर रोज़गार में 6.38 लाख की बढ़ोतरी हुई थी।

जनवरी–मार्च, 2010 की अवधि के लिए छठा तिमाही तत्काल रोज़गार, सर्वेक्षण अप्रैल, 2010 में आयोजित किया गया। दिसम्बर, 2009 के पश्चात मार्च, 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान चुनिन्दा क्षेत्रों में रोज़गार में 0.61 लाख तक की बढ़ोतरी हुई।

सातवाँ तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अप्रैल–जून, 2010 के लिए सितम्बर, 2010 में आयोजित किया गया। मार्च, 2010 के पश्चात् जून, 2010 को समाप्त तिमाही के दौरान सम्मिलित क्षेत्रों में समग्र स्तर पर रोज़गार में 1.62 लाख तक की वृद्धि हुई।

आठवाँ तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जुलाई–सितम्बर, 2010 के लिए अक्तूबर, 2010 में आयोजित किया गया। जून, 2010 के पश्चात सितम्बर, 2010 के दौरान समग्र स्तर पर रोज़गार में 4.35 लाख तक वृद्धि हुई।

नौवा तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अक्तूबर–दिसम्बर, 2010 की संदर्भ अवधि के लिए जनवरी, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। समग्र स्तर पर सितम्बर, 10 के पश्चात् दिसम्बर, 2010 की तिमाही के दौरान रोज़गार में 2.07 लाख की वृद्धि हुई।

दसवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जनवरी–मार्च, 2011 की संदर्भ अवधि के लिए अप्रैल तथा मई, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 1. 74 लाख की वृद्धि हुई।

ग्यारहवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अप्रैल–जून, 2011 की संदर्भ अवधि के लिए अगस्त, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 2.15 लाख की वृद्धि हुई।

बारहवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जुलाई–सितम्बर, 2011 की अवधि के लिए अक्तूबर, 2011 के दौरान आयोजित किया गया। समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 3.15 लाख की वृद्धि हुई।

तेरहवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अक्तूबर–दिसम्बर, 2011 की अवधि के लिए जनवरी, 2012 के दौरान आयोजित किया गया। संयुक्त क्षेत्रों के समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 2.26 लाख की वृद्धि हुई।

चौदहवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण जनवरी–मार्च, 2012 की अवधि के लिए अप्रैल, 2012 के दौरान आयोजित किया गया। संयुक्त क्षेत्रों के समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 0. 80 लाख की वृद्धि हुई।

पन्द्रहवां तिमाही तत्काल रोज़गार सर्वेक्षण अप्रैल–जून, 2012 की अवधि के लिए जुलाई, 2012 के दौरान आयोजित किया गया। संयुक्त क्षेत्रों के समग्र स्तर पर इस तिमाही के दौरान रोज़गार में 0. 73 लाख की वृद्धि हुई।

(vi) रोज़गार तथा बेरोज़गारी सर्वेक्षण:

श्रम ब्यूरो ने देश में रोज़गार–बेरोज़गारी परिदृश्य के निर्धारण के लिए अप्रैल, 2010 से प्रथम वार्षिक रोज़गार तथा बेरोज़गारी सर्वेक्षण आयोजित किया। 28 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में फैले 300 जिलों में सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 46,000 पारिवारिक प्रपत्रों को भरा गया। डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी द्वारा आंकड़ा संसाधन तथा अंतिम तालिकाएं तैयार की गई। रिपोर्ट को नवम्बर, 2010 में मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया था।

सर्वेक्षण का सार तथा इसके परिणाम इस प्रकार हैः–

- सर्वेक्षण देश के 28 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में फैले 300 जिलों में आयोजित किया गया।
- सर्वेक्षण के दौरान कुल 45,859 पारिवारिक प्रपत्र भरे गए जिनमें से 24,653 प्रपत्र ग्रामीण क्षेत्र में तथा 21,206 शहरी क्षेत्र में थे।

- सर्वेक्षण 1.04.2010 से 15.08.2010 तक की अवधि के दौरान आयोजित किया गया।
- सर्वेक्षण के परिणाम निश्चित संदर्भ अवधि 2009–10 (अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक) के लिए एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है।
- सर्वेक्षित 28 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 238 मिलियन परिवार हैं जिनमें से 172 मिलियन ग्रामीण तथा 66 मिलियन शहरी हैं।
- समग्र स्तर पर परिवार का आकार 5.0 होने का अनुमान है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 5.1 तथा शहरी क्षेत्र में 4.7 है।
- ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त क्षेत्रों के लिए लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरूष महिलाओं की संख्या) 917 होने का अनुमान है, ग्रामीण क्षेत्रों में 915 तथा शहरी क्षेत्रों में 924 है।
- समग्र स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात 325 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति होने का अनुमान हैं
- समग्र स्तर पर श्रम बल में श्रम बल सहभागिता दर 359 व्यक्ति प्रति 1000 होने का अनुमान लगाया गया है।
- श्रम बल में बेरोज़गारी दर 94 व्यक्ति प्रति 1000 व्यक्ति होने का अनुमान है जोकि यह बताता है कि प्रायिक प्रधान स्तर के अनुसार समग्र स्तर पर 9.4 प्रतिशत श्रम बल बेरोज़गार है।
- नियोजित जनसंख्या में स्वरोज़गार प्रधान श्रेणी है। समग्र स्तर पर 1000 नियोजित व्यक्तियों में से 439 व्यक्ति स्व–नियोजित है।
- समग्र स्तर पर स्व–नियोजितों में 1000 व्यक्तियों में से 572 व्यक्ति खेती, वानिकी एवं मत्स्यपालन समूह में नियोजित है।
- सर्वेक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि समग्र स्तर पर 1000 नियोजित व्यक्तियों में से 455 व्यक्ति खेती, वानिकी तथा मत्स्यपालन समूह में नियोजित हैं।

दूसरा रोज़गार–बेरोज़गारी सर्वेक्षण कृषि वर्ष 2010–11 (जुलाई–2010, जून–2011) की नियत संदर्भ अवधि के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण में देश के 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सभी जिलों को शामिल किया गया था। दूसरे रोज़गार–बेरोज़गारी सर्वेक्षण में प्रतिदर्श आकार लगभग 1.28 लाख पारिवारिक प्रपत्र था। द्वितीय रोज़गर–बेरोज़गारी सर्वेक्षण रिपोर्ट को जुलाई, 2012 में जारी किया गया था।

सर्वेक्षण तथा इसके परिणामों का सारांश इस प्रकार हैः

- सर्वेक्षण का कार्य देश के 35 राज्यों के समस्त जिलों/संघशासित प्रदेशों में किया गया है।
- सर्वेक्षण के दौरान कुल 1,28,298 पारिवारिक अनुसूचियों को शामिल किया गया है। जिसमें से 81,430 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 46.868 शहरी क्षेत्रों में से है।
- सामान्य स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित अनुमान लगाने के लिए कृषि वर्ष 2010–11 की एक

नियत सन्दर्भ अवधि अर्थात् जुलाई, 2010 से जून, 2011 का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक तथा वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण के लिए सन्दर्भ अवधि के रूप में सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व सात दिनों को लेते हुए एक सप्ताह को शामिल किया जाता है।

- श्रमबल से संबंधित समस्त तालिकाओं को राज्यवार/लिंगवार/क्षेत्रवार/सामाजिक समूहवार 15 वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु समूह के लिए तैयार किया जाता है।
- सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर कृषि तथा गैर–कृषि गतिविधियों के अन्तर्गत 50.8 प्रतिशत अथवा अधिकतर परिवारों की आय का मुख्य स्रोत स्वरोज़गार से जुड़ा हुआ पाया गया।
- प्रायिक प्रधान स्तर अवधारणा (यूपीएस) के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 50.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- प्रायिक प्रधान स्तर अवधारणा (यूपीएस) के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर महिला श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 75.1 प्रतिशत के पुरुष डब्ल्यूपीअर की तुलना में 23.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- प्रायिक प्रधान स्तर अवधारणा के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर बेरोज़गारी दर 3.4 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में यह 5 प्रतिशत है।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रायिक प्रधान स्तर अवधारणा के अन्तर्गत 48.6 प्रतिशत व्यक्तियों का स्व–रोज़गार से जुड़े होने का अनुमान है। 19.7 प्रतिशत व्यक्ति मज़दूरी/वेतन उपार्जक हैं तथा बाकी 31.7 प्रतिशत व्यक्ति अस्थाई श्रमिकों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

तीसरे रोज़गार–बेरोज़गारी सर्वेक्षण का फील्ड कार्य अक्तूबर, 2012 में शुरू किया गया है तथा अभी चल रहा है। इस जारी सर्वेक्षण में देश के 35 राज्यों के सभी जिलों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जा रहा है। तीसरे ईयूएस में प्रतिदर्श का आकार 1.35 लाख पारिवारिक प्रपत्र है। रिपोर्ट को जुलाई/अगस्त, 2013 में जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण–प्रतिदर्श क्षेत्र तक विस्तार (कारखानें)

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ा संग्रहण अधिनियम 1953 तथा 1959 में उसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत कानूनी रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह स्कीम 1961 से लागू है। इस स्कीम के तहत आंकड़ों का एकत्रण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जा रहा है तथा श्रम ब्यूरो द्वारा उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रपत्र के श्रम भाग अर्थात् भाग–II तथा भाग–I के खण्ड–ई के तहत एकत्रित आंकड़ों का प्रसार किया जा रहा है। इसमें अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, श्रम रोज़गार, कार्य के लिए निश्चित श्रम दिवस, कार्य किए गए श्रम दिवस तथा श्रम लागत के विभिन्न घटक पर आंकड़े शामिल हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) तथा बीड़ी एवं सिंगार कामगार (रोज़गार की स्थितियां) अधिनिमय 1966 के तहत पंजीकृत सभी संस्थान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत आंकडा संग्रहण 2 स्कीमों अर्थात् (i) गणना क्षेत्र (ii) प्रतिदर्श क्षेत्र के तहत किया जाता है।

वर्तमान में उपर्युक्त कुल संस्थानों में से 100 या उससे अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली इकाइयां तथा चयनित कम औद्योगीकृत राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थित इकाइयां गणना क्षेत्र के

तहत सम्मिलित है। सभी शेष इकाइयां जो गणना क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गई है प्रतिदर्श क्षेत्र के तहत सम्मिलित हैं।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैः–

क) कारखाना क्षेत्र में रोज़गार, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, उर्पाजन तथा श्रम लागत पर आंकड़ा आधार का निर्माण

ख) इस क्षेत्र में श्रम लागत के विभिन्न घटकों जैसे मजदूरी/वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी कल्याण पर सूचना का प्रसार तथा विश्लेषण।

ग) भविष्य में योजनाएं तथा नीति निर्धारण हेतु श्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत, वास्तविक तथा क्रमबद्ध आंकड़े उपलब्ध करवाना।

III मशीन सारणीकरण एकक का आधुनिकीकरण।

उद्देश्य/कार्यक्षेत्र

इसका उद्देश्य न्यूनतम समय अन्तराल के साथ आंकड़ों का तीव्र प्रसार करने हेतु श्रम ब्यूरो के सभी क्रियाकलपों को कम्प्यूटरीकृत करना है। जारी सभी योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। आंकड़ों को समय पर तथा तेजी से अवमुक्त करने की हमेशा से मांग रही है। श्रम ब्यूरो में कम्प्यूटर एकक योजना एवं योजनेतर स्कीमों के विभिन्न घटकों के संबंध में प्रयोक्ता सहायक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके, विस्तृत आंकड़ों के सारणीकरण द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तथा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को अद्यतन करने के निरन्तर प्रयासों द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पुनः कम्प्यूटर एकक ने भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तैयार 12 सूत्री ई–अभिशासन कार्यसूची को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी लिया है। कम्प्यूटर एकक द्वारा श्रम ब्यूरो की वेबसाइट का रख–रखाव भी किया जाता है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

IV श्रम एवं रोज़गार सांख्यिकीय पद्धति में सुधार (नया घटक)

(क) उद्देश्य

इस क्रियाकलाप का उद्देश्य ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रासंगिकता को बढ़ाना है तथा उदारीकृत आर्थिक तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने हेतु संगठन की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–औद्योगिक श्रमिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–खेतिहर श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक के आधार वर्षों का अद्यतन तथा आधारभूत सुविधाओं का निर्माण शामिल है।

(ख) संगत परिणाम

(i) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा यथानिर्धारित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार 2001=100 का वर्तमान वर्ष में अद्यतन

(ii) तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा यथानिर्धारित कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 1986–87=100 से वर्तमान वर्ष में अद्यतन।

(iii) आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–कार्यालय बिल्डिंग आदि।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) के आधार का 2001=100 से वर्तमान अवधि में अद्यतन तीन वर्षों में करने हेतु प्रस्ताव मंत्रालय के विचारर्थ प्रस्तुत किया गया था। स्थाई वित्त समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है तथा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

श्रम ब्यूरो के मुख्य नॉन प्लान क्रियाकलाप

श्रम आंकड़े

श्रम ब्यूरो वर्तमान में विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत संविधानिक/स्वैच्छिक आधार पर राज्य प्राधिकारियों से सूचना एकत्रित कर रहा है। आंकड़ों को निम्नलिखित श्रम अधिनियमों के तहत प्राप्त किया जाता है।

i) कारखाना अधिनियम, 1948

ii) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

iii) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926

iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

v) कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923

vi) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

vii) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

viii) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

ix) बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा

x) दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम

xi) औद्योगिक विवाद अधिनियम

एकत्रित तथा प्रसारित की गई सूचना मुख्य रूप से नियोजन, मजदूरी, श्रम घण्टे, औद्योगिक विवाद, कार्यबन्दी, छंटनी तथा अस्थायी छंटनी, श्रम दिवसों की हानि, उत्पादन हानि, श्रमिक संघों की सदस्यता, सूचीबद्ध नियोजनों के संबंध में निर्धारित तथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी, व्यवसायिक चोटें (घातक तथा अघातक) तथा व्यावसायिक रूग्णताएं, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत श्रमिकों को दिया जाने वाला प्रतिकर, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत लाभ, स्रोत द्वारा पंजीकृत श्रमिक संघों के राजनैतिक तथा सामान्य फंड तथा उनके उपयोग की प्रवृत्ति, कल्याण सुविधाओं जैसे कैश, कैंटीन, पीने का पानी, विश्राम कक्ष, अवकाश तथा छुट्टियां, सुरक्षा उपाय, निरीक्षण तथा दोष सिद्धियां (अभिशंसा) आदि से संबंधित होती है। एकत्रित आंकड़ों को वार्षिक/द्विवार्षिक समीक्षाओं/रिपोर्टों के रूप में प्रसारित किया जाता है।

मजदूरी

मजदूरी अनुभाग मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत एकत्रित आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। आंकड़ों को श्रम ब्यूरों के विभिन्न प्रकाशनों अर्थात् इण्डियन लेबर जरनल, इण्डियन लेबर ईयर बुक, इण्डियन लेबर स्टैटिस्टिक्स, श्रम आंकड़ों की लघु पुस्तिका में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए जा रहे हैं:–

(क) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

प्रति व्यक्ति दैनिक उपार्जन, प्रति व्यक्ति वार्ष्र्जिक उपार्जन तथा सकल मजदूरी का संकलन विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक विवरणियों के आधार पर किया जाता है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों/विवरणियों के आधार पर किया जाता है।

(ग) विविध

सूती वस्त्र उद्योगों के श्रमिकों के उपार्जन का संकलन प्रतिमाह 9 चुनिन्दा केन्द्रों के लिए किया जाता है तथा प्रकाशन हेतु आई.एल.जे. अनुभाग को भेजा जाता है।

मजदूरी दर सूचकांक

आंकड़ों पर केन्द्रीय तकनीकी सलाहकार परिषद् ने दिसम्बर, 1961 में आयोजित बैठक में सुझाव दिया कि राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों को श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर मजदूरी दरों पर अद्यतन आंकड़ें तैयार करने की सम्भावना तलाशनी चाहिए तथा व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के तहत सम्मिलित उद्योगों के सम्बन्ध में वार्षिक, अन्तराल पर मजदूरी दर सूचकांकों का संकलन करना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने भी इसी तरह के सूचकांकों की आवश्यकता पर बल दिया। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने यद्यपि राज्य सरकारों को ऐसे सूचकांक संकलित करने की सलाह दी थी लेकिन 1967 में प्रगति की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की। मजदूरी दरों तथा सूचकांकों पर क्रमिक आंकड़ों की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने मजदूरी दर सूचकांकों के संकलन से संबंधित कार्य का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो द्वारा लेने की इच्छा जाहिर की। अन्त में इस कार्य को आंकड़ों पर केन्द्रीय तकनीकी सलाहकार परिषद् की सिफारिशों पर 1968 में श्रम ब्यूरों को यह कार्य सौंपा गया। श्रम ब्यूरो ने 1969 से आधार 1963–65 के साथ बारह विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के मजदूरी दर सूचकांक के संकलन का कार्य आरम्भ किया। 1976 से इन सूचकांकों के संकलन के लिए उद्योगों की सूची में 9 और उद्योगों अर्थात् 3 बागान, 4 खनन तथा 2 विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया गया। इस तरह 14 विनिर्माण, 4 खनन तथा 3 बागान उद्योगों को मिलाकर उद्योगों की कुल संख्या 21 तक पहुँच गई। तभी से मजदूरी दर सूचकांक तथा पूर्ण मजदूरी दरों को 21 चुनिन्दा उद्योगों के सम्बन्ध में निरन्तर संकलित किया जा रहा है। जिन के लिए मजदूरी दर सूचना अखिल भारत में चुनिन्दा प्रतिष्ठानों से प्रत्येक वर्ष के लिए नियमित रूप से एकत्रित की जा रही है। इस क्रियाकलाप के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये हैं:–

i) निश्चित अवधि के पश्चात् चुनिन्दा उद्योगों के लिए उद्योग/स्तर वार पूर्ण मजदूरी दर तथा मजदूरी दर सूचकांकों का संकलन, रखरखाव तथा प्रकाशन करना।

ii) चुनिन्दा उद्योगों में उनके केन्द्रीकरण (स्तर) के विभिन्न स्थानों पर पूर्ण/वास्तविक मजदूरी दर में उद्योग वार विभिन्नता का अध्ययन करना।

अनुसंधान

अनुसंधान अनुभाग को दो प्रकाशन अर्थात् भारतीय श्रम अनुसंधान का सार संग्रह तथा महिला श्रमिकों पर सांख्यिकीय प्रोफाइल निकालने का कार्य सौंपा गया है। सार संग्रह में भारतीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय तथा सरकार के संगठनों, अनुसंधान संस्थानों में तथा व्यक्तिगत शोधकर्त्ताओं द्वारा श्रम के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्य की आलोचनात्मक ग्रन्थ सूची सम्मिलित होती है। महिला श्रमिकों पर सांख्यिकी प्रोफाइल द्वारा भारत में महिला श्रमिकों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत आंकड़े एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

श्रम पर अनुसंधान कार्य के महत्व को बल देने की आवश्यकता है क्योंकि इन अध्ययनों द्वारा उपलब्ध करवाए गए परिणाम वास्तविक योजनाएं बनाने तथा नीति निर्धारण हेतु सरकार के लिए सहायक सिद्ध होते है।

2. औद्योगिक संबंध

गैर-योजना
केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र

मुख्य श्रमायुक्त(कें.) संगठन जो कि केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के नाम से गी जाना जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंद्ध कार्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) हैं। इस तंत्र का कार्य सौहर्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना, केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना, अनुशासन संहिता के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की ट्रेड यूनियन सदस्यता की जांच, केन्द्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिनिधित्व के लिए बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण) अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में श्रमिकों के निदेशकों का नामांकन करने के लिए विगिन्न बैंकों की यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन करना है।

<u>केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के कार्यः–</u>

- केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं उनका समाधान कराना।
- केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करना
- अवार्ड को लागू करना
- अर्द्ध न्यायिक कार्य
- ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की जाँच कल्याण

- अन्य विविध कार्य।

केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवादों का निवारण एवं समाधान कराना

केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र निम्नलिखित के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करता है:

- केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों पर निगरानी रखना
- विवादों का समाधान करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप, मध्यस्थता तथा उनका समाधान करना
- हड़ताल तथा तालाबंदी को टालने के दषष्टिकोण से हड़ताल तथा तालाबंदी की धमकियाँ मिलने पर हस्तक्षेप करना ।
- समाधान एवं अवार्डों को लागू करना
- औद्योगिक विवाद के अन्य प्रावधानों को लागू करना

वर्ष 2011–12 के दौरान केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने 747 हड़ताल की धमकियों के मामले में हस्तक्षेप किया और समाधान के प्रयासों से 731 हड़तालों को रोका गया, जिसकी सफलता की प्रतिशतता 97.9 प्रतिशत रही है । वर्ष 2012–13 के दौरान (सितम्बर , 2012 तक) 296 हड़तालों के नोटिस में हस्तक्षेप करके 269 हड़तालों को टालने में सफल रहा, जो 90.9 प्रतिशत सफलता दर को दर्शाता है। मशीनरी में औद्योगिक विवादों के मामलों को देखते हुए वर्ष 2011–12 के दौरान 6029 समाधान और वर्ष 2012–13 (दिसंबर, 2012 तक) के दौरान 3348 समाधान किए गए ।

श्रम कानूनों और इनके तहत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन

केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य उन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का प्रवर्तन करना है जिनके लिए केंद्र सरकार समुचित सरकार है। केंद्रीय क्षेत्र में 1.5 लाख प्रतिष्ठान हैं। केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी कामगारों को हितकारी विधानों के लाग सुनिश्चित करने के लिए विगिन्न श्रम कानूनों के तहत इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान 38792 निरीक्षण किए गए, सगी श्रम कानूनों के अन्तर्गत अगियोजन के 12293 मामले दायर किए गए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत 4287 मामलों में दावा मामले दायर किए गए। 3348 औद्योगिक मामलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान 450 मामलों का निपटारा किया गया तथा उपदान अधिनियम के अन्तर्गत 2012–13 (सितंबर, 2012 तक) के दौरान 167 दावा मामलों का निपटारा किया गया।

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों की संख्याः

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	अनियमितता की संख्या		शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	सिद्धदोषों की संख्या
		पाई गई*	सुधार किए गए		
2011–12	38792	322793	331656	14300	12293
2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	19632	155356	155963	5758	4560

* इनमें पिछले वर्ष के अग्रणीत आँकड़ें भी शामिल हैं।

आवार्डो का कार्यान्वयन

केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारीगण केंद्रीय सरकार न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आवार्डों को लागू करते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान पिछले वर्ष के अवार्डों सहित 2416 अवार्ड प्राप्त हुए, जिनमें से 566 अवार्डों को लागू किया गया और 975 आवार्डों को लागू करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई तथा शेष अवार्ड अन्य कारणों से लंबित थे। नियोजकों द्वारा कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश ले लिए जाने के कारण आवार्डों के कार्यान्वयन में कठिनाई का अनुगव होता है। वर्ष 2012–13 (सितम्बर, 2012 तक) के दौरान 2197 अवार्ड प्राप्त हुए हैं (पिछले वर्ष से अग्रणीत आंकडों सहित) । इनमें से 311 अवार्डों की कार्यान्वित किया गया है, 943 अवार्डों का कार्यान्वयन प्रगति पर है। 943 अवार्डों के कार्यान्वयन को उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दिया गया है और 943 अवार्डों का कार्यान्वयन अन्य कारणों से लम्बित है।

अर्द्ध–न्यायिक कार्य

केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के सहायक श्रमायुक्त(कें.) से मुख्य श्रमायुक्त (कें.) स्तर तक के अधिकारी कुछ अर्द्ध–न्यायिक कार्य भी करते हैं। वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान (सितम्बर,2012 तक) की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैः

(रू. लाखों में)

क.सं.	**अर्द्धन्यायिक कार्य की प्रकृति**	**अवधि**	**मामले/आवेदन पत्र/दावों की कुल संख्या**	**निपटाए गए मामले/आवेदन पत्र/दावे**	**दी गई राशि**
1.	उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अन्तर्गत उपदान (ग्रेच्युटी) आवेदन पत्र	2011–2012	791	450	651.17
		2012–2013	605*	167	321.93
2.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत क्षे.श्र.आ. (कें.) द्वारा निपटाए गए दावे संबंधी आवेदन पत्र	2011–2012	7821	3083	1164.84
		2012–2013	5936*	1165	698.44
3.	भवन एवं निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत मामले	2011–2012	6023	806	10.78
		2012–2013	5679*	234	5.62

***(30.09.2011 तक)**

ट्रेड यूनियन सदस्यता का सत्यापन

केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों की सदस्यता की सामान्य जाँच एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मुख्य श्रमायुक्त(कें.) संगठन द्वारा किया जाता हैं। सामान्य जाँच का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, इत्यादि में केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों को प्रतिनिधित्व देना है।

विगत तीन सामान्य सत्यापन निर्धारित दिनांक 31.12.1980, 31.12.1989 और 31.12.2002 तक की स्थिति के अनुसार किए गए थे और सत्यापन के परिणाम श्रम मंत्रालय द्वारा क्रमशः वर्ष 1985, दिसम्बर, 1986 और जनवरी, 2008 को प्रकाशित किए गए थे। केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन

से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों के नए सत्यापन की प्रक्रिया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेश के अनुसार शुरू की गई है।

<u>कल्याण</u>

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय, नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.) द्वारा सहायक श्रम कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त,श्रम कल्याण आयुक्त जो रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विगाग, प्रेस, टकसाल, आयुध कारखाने, टेलीकॉम कारखानों और अस्पतालों आदि में नियोजित कर्मचारियों के कल्याण कार्य की देख–रेख करते हैं, का पर्यवेक्षण किया जाता है।

बेहतर समाधान के लिए तंत्र उपचारात्मक मध्यस्थता, श्रम कानूनों का प्रगावी प्रवर्तन, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) और क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) नई दिल्ली के लिए संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण और केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

यह योजना बेहतर समाधान सेवा,बेहतर पर्यवेक्षण और श्रम प्रवर्तन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यालय खोलने तथा केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों को विगिन्न कार्य क्षेत्रों में उनके कौशल और ज्ञान को बढाने तथा प्रगावी ढंग से अपने कार्यों को सम्पादित करने के लिए नियमित आधार पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने से जुडी है।

<u>उद्देश्यः</u>

* काम के बढ़ते दबाव को पूरा करने के लिए औद्योगिक विवादों में जांच–पड़ताल, मध्यस्थता और समाधान सेवाओं के लिए तंत्र को मजबूत करना।

* केंद्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या के दषष्टिकोण से प्रवर्तन तंत्र को अपर्याप्त समझते हुए प्रवर्तन तंत्र को सशक्त करना।

* प्रवर्तन के कार्य पर बेहतर और गहन पर्यवेक्षण।

* योजना का उद्देश्य दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को कम्प्यूटर, फैक्स और फोटोकॉपी मशीन जैसी संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे प्रगावी ढ़ग से समाधान सेवाएं प्रदान कर सकें एवं श्रम कानूनों को प्रगावी ढ़ंग से लागू कर सकें।

* केंद्रीय श्रम सेवा और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को नियमित आधार पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय गवन , आवासीय परिसर निर्मित करने का प्रस्ताव था। मुख्य श्रमायुक्त कें कार्यालय ,नई दिल्ली के लिए संयुक्त परिसर बनाने का गी प्रस्ताव था। साथ ही,क्षेत्रीीय कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर,जैरोक्स मशीन और अन्य उपस्कर प्रदान करने का प्रस्ताव है। निधियों के आबंटन के अनुसार चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर और अन्य कार्यालय उपस्कर प्रदान किए जा रहे हैं।

अधिकारियों को निम्नलिखित तीन शाखाओं में तैनात किया जाता हैः–

(क) केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र

(ख) श्रम कल्याण महानिदेशालय संगठन

(ग) केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कल्याण अधिकारी

केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक शाखा में निर्धारित विगिन्न कार्यों से जुड़े विगिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना होता हैं। चूंकि केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारी एक शाखा से दूसरी शाखा में तैनात किये जाते हैं, इसलिए उन्हें एक प्रगावी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें व्यावहारिक सेवा कालीन प्रशिक्षण गी शामिल हो जिससे इन अधिकारियों को कौशल, ज्ञान एवं अगिरूचि से युक्त किया जा सके ताकि वे प्रगावी रूप से एवं कुशलतापूर्वक प्रत्येक शाखा मे काम कर सकें।

(ख) (i) प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता

(i) ट्रेड यूनियन (संशोधन) अधिनियम, 2001

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 श्रमिक संघों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है तथा कुछ अर्थों में पंजीकृत श्रमिक संघों से संबंधित कानून को परिभाषित करता है। यह पंजीकृत श्रमिक संघों को वैधानिक तथा कार्पोरेट स्थिति उपलब्ध कराता है। यह अधिनियम श्रमिक संघों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को भी परिभाषित करता है तथा श्रमिक संघों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को श्रम विवादों के विचारणार्थ अथवा उनके सहायतार्थ किए गए किसी कार्य के संबंध में नागरिक मुकदमों से जो श्रमिक संघों को भी छूट प्राप्त है, को विनिर्दिष्ट करते हुए श्रमिक संघ के ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ सदस्यों के साथ किए गए समझौते के संबंध में आईपीसी की धारा 120 ख से छूट प्रदान करता है। इस अधिनियम के अर्न्गत श्रमिक संघ राजनीतिक प्रयोजनार्थ अलग निधि के गठन के लिए भी प्राधिकृत हैं। इस अधिनियम का प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रारों द्वारा किया जाता है। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 पिछली बार 09.01.2002 को संशोधित तथा प्रवर्तित किया गया है। संक्षेप में इन संशोधनों का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों की सुव्यवस्थित उन्नति करना तथा ट्रेड यूनियनों की संख्या में कमी तथा आंतरिक लोकतंत्र संवर्धित करना तथा औद्योगिक शांति सुनिश्चित करना हैं

(ii) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक विवादों की जांच एवं निपटान की व्यवस्था है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैंः– नियोक्ता तथा कामगारों की बीच सद्भाव तथा मधुर संबंध स्थापित करने के लिए उपाय विकसित करना; सुलह तथा न्याय–निर्णयन के माध्यम से नियोक्ता तथा कामगारों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच एवं निपटान करना। यह अधिनियम कर्मकारों को गैर कानूनी हड़ताल एवं तालाबंदी तथा छंटनी की स्थिति में सांविधिक संरक्षण उपलब्ध कराता है। यह जनउपयोगिता सेवाओं या दूसरे प्रकार की सेवाओं को हड़ताल के दौरान विनियमित कराता है। इस अधिनियम में परिभाषित गलत श्रम कार्य प्रणाली के मामले में प्रबंधन/संघों के खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित किया गया है तथा 15.09.2010 से लागू किया गया है और अब श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों को उनके पंचाटों को कार्यान्वित न करने पर कार्रवाई करने की शक्ति दी गई है। संशोधित अधिनियम में प्रतिष्ठानों में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने के लिए शिकायत निपटान तंत्र का गठन भी अनिवार्य किया गया है।

(iii) बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010

बागान श्रम अधिनियम, 1951 एक केन्द्रीय अधिनियम है। यह अधिनियम वर्ष 1954 से प्रचालन में है। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। बागान श्रम अधिनियम, 1951 कार्य के घंटों सहित नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है और बागान श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए तंत्र बनाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर बागान श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षण सुविधाओं, आवासीय सुविधाओं, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता एवं संरक्षण संबंधी सुविधाओं जैसे कल्याणकारी उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। बागान श्रम अधिनियम, 1951 को बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित किया गया है तथा 07.06.2010 से लागू किया गया है। इस संशोधन में 10,000/– रूपये तक का वेतन पाने वाले सभी कामगारों को शामिल किया गया है तथा महिला कामगारों के लाभ के लिए लिंग भेद भी समाप्त किया गया है। संशोधन में बागान कामगारों के लिए सुरक्षा के विशेष उपबंध भी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकारों को अपने नियम बनाने तथा भारत सरकार से पूर्व अनुमति लिए बिना उनको क्रियान्वित करने हेतु सशक्त बनाया गया है।

(iv) प्रबंधन में कामगार सहभागिता विधेयक, 1990

प्रबंधन में कामगार सहभागिता विधेयक, 1990 दिनांक 30.05.1990 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य शॉप फ्लोर स्तर, प्रतिष्ठान स्तर तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोर्ड प्रबंधन स्तर पर प्रबंधन में कामगारों की विशिष्ट एवं उपयोगी भागीदारी प्रदान करना है। प्रबंधन में कामगार सहभागिता विधेयक, 1990 में 1990 से आर्थिक एवं सामाजिक मानकों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कुछ संशोधन अपेक्षित हैं। विधेयक को अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान से इस संबंध में अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।

(v) बागान उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

बागान उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति आरंभ में 18.09.1998 को गठित की गई थी तथा बागान उद्योग की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने तथा हल निकालने के लिए पिछली बार 03. 02.2012 को पुनर्गठित की गई थी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के आने से उनकी अध्यक्षता में कार्य करने के लिए समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(vi) सड़क परिवहन उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

सड़क परिवहन उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति आरंभ में 05.01.2004 को गठित की गई थी तथा 25.05.2012 को अंतिम बार पुनर्गठित की गई थी। समिति का मुख्य कार्य सड़क परिवहन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन तथा उन पर विचार–विमर्श करना और उनका हल निकालना है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के आने से उनकी अध्यक्षता में कार्य करने के लिए समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ग) समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड

यद्यपि, श्रमजीवी पत्रकार तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा–शर्तें) तथाा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13–ग के तहत दो नए वेतन बोड – एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर–समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए दिनांक 24.05.2007 की अधिसूचना द्वारा गठित

किए गए हैं, इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परिसर, द्वारका, नई दिल्ली के कार्यालय से नवम्बर, 2007 में कार्य करना प्रारम्भ किया। कार्यालय के लिए स्थान निर्धारण, कर्मचारियों की नियुक्ति और अध्यक्ष के लिए आवास की व्यवस्था आदि में समय लगने के कारण विलम्ब हुआ।

वेतन बोर्डों ने कई बैठकें की, सभी संबंधितों को प्रश्नावली जारी की, कुछ राज्यों का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों, समाचार पत्र प्रतिष्ठान और कर्मचारी संघों के साथ चर्चाएं की। सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर–पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों के परामर्श से अधिसूचना का.आ. संख्या 2524 (अ.) और का. आ. संख्या 2525 (अ.) दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 द्वारा पत्रकारों तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों एवं समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए 8 जनवरी, 2008 से मूल मजदूरी के 30% की दर पर मजदूरी की अंतरिम दरें प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकार ने न्यायमूर्ति के. नारायण कुरूप, जिन्होंने 31.07.2008 से त्याग पत्र दे दिया था, के स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया को दोनों ही वेतन बोर्डों के एक श्रमजीवी पत्रकारों हेतु और दूसरा गैर–पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए, समान्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया। न्यायमूर्ति ने दिनांक 04.03.2009 को कार्यभार संभाल लिया।

चूंकि श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों ने निर्धारित समय के अंदर अर्थात दिनांक 23 मई, 2010 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, अतः सरकार ने अधिसूचना का. आ. 1304 (अ.) और 1305 (अ.) दिनांक 2 जून, 2010 द्वारा न्यायमूर्ति गुरबक्श राय मजीठिया की अध्यक्षता में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों के कार्यकाल का 31 दिसम्बर, 2010 तक विस्तार कर दिया ताकि बिना किसी और समय विस्तार के वेतन बोर्ड 31 दिसम्बर 2020 को अथवा इससे पूर्व अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान कर सकें।

वेतन बोर्डों ने सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 31–12–2010 को प्रस्तुत कर दी। मंत्रिमंडल ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों और समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों हेतु वेतन बोर्डों की, इस मंत्रालय की दिनांक 7 अक्टूबर, 2011 की मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी में यथानिहित सिफारिशें स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव, 25 अक्टूबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया।

मजीठिया वेतन बोर्डों की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और का.आ.सं. 2532 (अ.) दिनांक 11.11.2011 द्वारा सरकारी राजपत्र में एबीपी प्राईवेअ लि बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2011 की डब्ल्यूपी (सी) सं. 246 के परिणाम के अध्यधीन अधिसूचित की गई थीं। ये सिफारिशें इस मंत्रालय के वैबसाईट में अपलोड कर दी गई हैं और सार्वजनिक कर दी गई हैं।

चूंकि सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में विहित है, अतः अधिसूचनाओं के प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई थी। अधिसूचना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने की दृष्टि से प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर की अनुवीक्षण समिति स्थापित की गई है। केन्द्रीय स्तर की अनुवीक्षण समिति की प्रथम बैठक 7 दक्षिणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 24.09.2012 को हैदराबाद में हुई थी।

(घ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

- बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कतिपय प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को लाभों/उत्पादन/ अथवा उत्पादकता के आधार पर बोनस की अदायगी करने तथा इनसे जुडे मामलों से संबंधित प्रावधान हैं। बोनस संदाय अधिनियम, 1965, 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक कारखाने और प्रतिष्ठान पर लागू होता है।

- इस अधि-ायम ञी धारा 10 ञे अंतर्गत प्रत्येञ उद्योग और प्रतिष्ठा-ा द्वारा 8.33% ञा -यू-ातम बो-ास देय है। ञिसी लेजा वर्ष में अदा ञिये जा सञ-ो वाले उत्पादञता से जुड़े बो-ास सहित -यू-ातम बो-ास इस अधि-ायम ञी धारा 31-ञ ञे अंतर्गत ञिसी ञर्मचारी ञे वेत-ामजदूरी ञे 20% से अधिञ -ाहीं होगा।

वर्तमा-ा में ञिसी उधोग में भाड़े अदावा पुरस्ञार ञे लिए ञोई ञुशल अदावा अञुशल, शारीरिञ, पर्यवेञी, प्रबंधञीय, प्रशासनिञ, तञ-ीञी अदावा लिपिञीय ञार्य ञर-ो ञे लिए 10,000- रुपये प्रति माह से अ-ाधिञ वेत-ा अदावा मजदूरी प्राप्त ञर-ो वाले ञर्मचारी बो-ास ञी अदायगी ञे लिए पात्र होंगे। इस अधि-ायम ञी धारा 2 ञे जञ्ड 13 और धारा 12 ञे अंतर्गत पात्रता सीमा और गज-ाा सीमा ञो वर्ष 2007 में 2,500- रुपये और 3,500- रुपये प्रतिमाह से पिछली बार संशोधित ञरञे ञ्रमशः 3,500- रुपये तथा 10,000- रुपये प्रतिमाह ञर दिया गया दाा और 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी ञिया गया दाा।

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

1. **उद्देश्यः** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण करना है जिनमें अशिक्षा के कारण श्रमिक सुसंगठित नहीं हैं और प्रभावी सौदेकारिता शक्ति न होने के कारण वे आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं।

2. **समुचित सरकारः** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार दोनों अपने–अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के लिए 'समुचित सरकार' हैं।

3. **निर्धारणः** भारतीय श्रम सम्मेलन ने 1957 में आयोजित अपने सत्र में निम्नलिखित 5 मानकों की संस्तुति की थी और सामान्यतः इसी के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जाता है।

(क) एक अर्जक के लिए तीन उपभोग इकाइयां;

(ख) प्रति औसत भारतीय वयस्क के लिए न्यूनतम आहार हेतु 2700 कैलोरी की आवश्यकताएं;

(ग) प्रति परिवार कपड़े की आवश्यकता 72 गज प्रति वर्ष

(घ) सरकारी औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया;

(ङ) ईंधन, प्रकाश व्यवस्था तथा व्यय की अन्य विविध मदों के लिए कुल न्यूनतम मजदूरी का 20%।

उच्चतम न्यायालय ने रेप्टाकोस ब्रेट एण्ड कंपनी बनाम इसके कामगारों के मामले में यह निर्णय दिया कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, आवश्यकता, न्यूनतम मनोरंजन, जिसमें त्यौहार/उत्सव शामिल हैं, वृद्धावस्था, विवाह आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी के 25% का भी प्रावधान होना चाहिए तथा इसे न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में एक दिशा–निर्देश के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

समुचित सरकारें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय जीवन–यापन लागत, भुगतान क्षमता, उत्पादकता और मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाली स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखती हैं।

4. **पुनरीक्षणः** मजदूरी पुनरीक्षण की बारम्बारता के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/पुनरीक्षा अधिकतम पांच वर्ष के अंतराल पर कर ली जानी चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग (1969) ने सिफारिश की कि यह अवधि घटाकर दो वर्ष की जानी चाहिए। जुलाई, 1980 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31वें सत्र में इस बात पर सहमति बनी थी कि यदि आवश्यकता हो, तो न्यूनतम मजदूरी दरों की समीक्षा और पुनरीक्षा दो वर्षों से अनधिक की अवधि के भीतर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की बढ़ोतरी होने पर, जो भी पहले हो, की जानी चाहिए।

5. **केन्द्रीय क्षेत्र में अनुप्रयोज्यता** : केन्द्र सरकार या रेलवे प्रशासन द्वारा या इसके तहत अथवा खान, तेल क्षेत्र या महापत्तन या केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी निगम के संबंध में अनुसूचित नियोजन के मामले में केंद्र सरकार समुचित सरकार है। अनुमान है कि केंद्रीय क्षेत्र में अधिनियम के दायरे में शामिल लगभग 25,000 प्रतिष्ठानों में लगभग 10 लाख श्रमिक नियोजित हैं।

6. **परिवर्ती महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी दरें** : केन्द्र सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार वाले सभी 45 अनुसूचित नियोजनों में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्त्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान किया है। परिवर्त्ती महंगाई भत्ते का वर्ष में दो बार–अप्रैल और अक्तूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है। तेईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने न्यूनतम मजदूरी के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते का मानदंड अपना लिया है।

केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–I पर है।

7. **राज्य क्षेत्र में अनुप्रयोज्यता** : राज्य सरकारें अपने अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए समुचित सरकार हैं। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों की संख्या 1679 है। राज्य क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी रेंज को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–II में है।

केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मुद्दे को राज्य सरकारों से विभिन्न मंचों और पत्रों में चर्चा के जरिए उठाती रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है :

- न्यूनतम मजदूरी के साथ–साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ता शुरू करें। अब तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने परिवर्ती मंहगाई भत्ते की न्यूनतम मजदूरी का अंग बनाया है।
- प्रत्येक दो वर्ष पर न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने करें जब तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान न हो, और
- प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करें।

8. केन्द्र सरकार भी विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन पर पैनी नजर रखती है। राज्य सरकारों को समय–समय पर सलाह दी गई है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावित बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करें। संस्तुत कदमों में अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाओं के उपयोग को शामिल करना शामिल है, जैसे–राजस्व, कृषि, सहकारिता आदि, ताकि निरीक्षकों की संख्या बढ़ सके और रेडियो, प्रेस आदि जैसे माध्यमों के जरिए श्रमिकों में न्यूनतम मजदूरी संबंधी सांविधिक उपबंधों की जानकारी फैले।

9. राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी : एक समान मजदूरी ढांचा कायम करने और देश भर में न्यूनतम मजदूरी में असमानताएं कम करने के लिए, राष्ट्रीय निर्माण श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा 1991 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और कार्यदल द्वारा सुझाए गए मानकों के आधार पर तथा इन्हें बाद में दिनांक 19.12.2003 को हुयी बैठक में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी दिनांक **01.02.2004** से बढ़ाकर **66/–** रूपये प्रतिदिन कर दी गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक **01.09.2007** से राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को क्रमशः **66/–** रूपये से संशोधित करके **80/–** रूपये प्रतिदिन, **01.11.2009** से **80/–** रूपये से बढ़ाकर **100/–** और **01.04.2011** से **115/–** प्रतिदिन कर दिया है।

फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में ऊर्ध्वमुखी संशोधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी एक संविधानेतर उपाय है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे न्यूनतम मजदूरी को इस प्रकार निर्धारित करें/संशोधित करें कि किसी भी अनूसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी से कम न रहे। सभी प्रकार के नियोजनों के लिए राष्ट्रीय समान स्तनीय न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक बनाने के लिए एक संशोधन लाने का प्रस्ताव है।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

1.43 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 जो एक श्रमिक अनुकूल विधान है, मुख्यतः मजदूरी का

समय पर भुगतान और कामगारों की मजदूरी से किसी प्रकार की अनिधकृत कटौतियां न किया जाना सुनिश्चित करता है। केन्द्र सरकार ने, इस अधिनियम की धारा **1** की उपधारा **(6)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर दिनांक **8** अगस्त, 2007 से मजदूरी की अधिकतम सीमा को 6500/– रूपये से बढ़ाकर 10,000/– रूपये प्रतिमाह कर दिया है। अभी हाल में मजदूरी की सीमा को दिनांक 11.09.2012 से बढ़ाकर 18000/– रूपये कर दिया गया है।

मजदूरी संदाय (नामिती) नियम, 2009

1.44 महिलाओं को पूर्ण विधिक समानता देने के विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कार्यबल की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने नामिती की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 के उप–खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामगारों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को नामित करने हेतु, जहां तक संभव हो, प्रतिबंधित करते हुए दिनांक 29 जून, 2009 के सा. का. नि. संख्या 822 (अ) की अधिसूचना द्वारा मजदूरी संदाय (नामिती) नियम, 2009 को अधिसूचित किया है।

3. कार्य परिस्थिति एवं सुरक्षा

(क) कारखाना एवं गोदी

मुख्यालय (कारखाना सलाह, सेवा प्रगाग, गोदी सुरक्षा प्रगाग, निर्माण सुरक्षा प्रगाग एवं अवार्ड कक्ष), मुंबई स्थित केन्द्रिय श्रम संस्थान (सी.एल.आय) कोलकाता, चैन्नई, कानपुर और फरीदाबाद स्थित चारों क्षेत्रीय श्रम संस्थान तथा गारत के 11 पत्तनों में स्थित गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय डीजीफासली में सम्मिलित है। एन्नौर में निरीक्षणालय स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

एक सेवा संगठन के रूप में कार्य करना, देश के कारखानों और पत्तनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं कार्य परिस्थितियों के संबंध में केन्द्रीय, राज्य सरकारों, कामगार संघों, नियोक्ताओं और अन्य व्यक्तियों को सलाह देना तथा कारखाना अधिनियम 1948, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण अधिनियम, 1986 और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक अनुसंधान क्रियाकलापों में सक्रिय रहना तथा मुख्य पत्तनों पर गोदी कारगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों को लागू कराना, परियोजनाओं को लागू करने में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क बनाए रखना तथा सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि पर अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में सुधार के लिए केन्द्र सरकार को सलाह देना, इस संगठन के मुख्य उद्देश्य है।

(ख) खान सुरक्षा :

जा-ा अधि-ियम 1952 तथा इसजे अधी-ा ब-ााये गये वि-ियम और -ियम समस्त भारत में स्दित जा-ों में -ियोजित लोगों जी सुरजा, स्वास्दय, ज्ल्याज और जार्य दशाओं जो वि-ियमित जर-ो जे लिए

सांविधिज आधार प्रदा-ा ज़रते हैं । जा-ा सुरजा महा-िदेशालय जो जा-ा अधि-ियम 1952 और इसजे अधी-ा ब-ााये गये -ियमों और वि-ियमों जे उपबंधों जो लागू ज़र-ो जा जार्य, जिसमें सभी जा-ाों जे लिए जा-ा -ियम, जा-ा बचाव -ियम, जा-ा व्यवसायिज प्रशिजज -ियम तथा गैर जोयला जा-ाों जे लिए शिशुसद-ा -ियम भी शामिल है, सौंपा गया है ।

जा-ा सुरजा महा-िदेशज इस संगठ-ा जे विभागाध्यज होते हैं, जो जा-ा अधि-ियम, 1952 जे तहत मुज्य जा-ा -िरीजज भी हैं। जा-ा अधि-ियम 1952 जे अधी-ा इस महा-िदेशालय जे अधिजारियों जो जा-ा -िरीजजों जी शक्तियां प्रदत्त जी गयी हैं । उ-हें भारतीय विद्युत अधि-ियम, 2003 तथा जे-द्रीय विद्युत प्राधिजरज वि-ियम (सुरजा एवं विद्युत आपूर्ति जे उपाय)2010, जे अतिरिक्त समवर्गी विधा-ा, जैसे जोयला जा-ा (संरजज और विजास) अधि-ियम 1974, भू-अधिग्रहज (जा-ा) अधि-ियम 1985, जारजा-ाा अधि-ियम 1948 तथा जोजिमजारी रसाय-ाों जा -िर्माज, भंडारज तथा आयात -ियम, 1989 जे अंतर्गत जुछ जास दायित्व भी सौंपे गये हैं । -िरीजज दुर्घट-ाा जे स्वरूप तथा स्थितिजी गंभीरता जो ध्या-ा में रजते हुए सभी घातज और जुछ गंभीर दुर्घट-ााओं जी जांच जर-ो जे अलावा -ियमित -िरीजज जरते हैं । ऐसी जांच पड़तालों से दुर्घट-ााओं जे लिए उत्तरदायी जारजों और परिस्दितियों जा पता लगा-ो तथा इ-ा आपदाओं जी पु-ारावृत्ति जो रोज-ो जे लिए -िवारज उपायों जो प्रतिपादित जर-ो जैसे दोहरे लज्यों जी प्राप्ति होती है ।

<u>जा-ा सुरजा महा-िदेशालय जे वर्तमा-ा जार्य जलाप इस प्रजार हैं:</u>

1. जा-ा जा -िरीजज
2. -िम्-ालिजित जी जांच पड़ताल
   ज. दुर्घट-ाा
   ज. जतर-ााज घट-ााएं संजट जाली-ा प्रतिक्रियाएं
   ग. शिजायत और अ-य मामले
3. ज. -िम्-ालिजित जी मंजूरी:
   (i) सांविधिज अ-ुमति, छूट एवं रियायत परियोज-ाा रिपोर्ट और जा-ा जे -ाक्शे जा पूर्वावलोज-ा
   (ii) जा-ा सुरजा उपजरज, सामग्री और साध-ाों जा अ-ुमोद-ा
   ज. जा-ा सुरजा उपजरज सामग्री और सुरजित जार्य जे विजास जे लिए पारस्परिज क्रियाएं (जार्यशाला इत्यादि द्वारा अभ्यास)
   ग. सुरजा विधा-ा और मा-ाजों जा विजास
   घ. सुरजा सूच-ाा प्रसार
4. सजमता प्रमाजपत्र जी मंजूरी जे लिए परीजाओं जा संचाल-ा
5. सुरजा उन्नय-ा उपायों जे साथ-साथ

ज. -िम्-ालिजित जा आयोज-ा:

- जा-ा सुरजा पर सम्मेल-ा
- राष्ट्रीय सुरजा पुरस्जार
- सुरजा सप्ताह और अभिया-ा

ज. **प्रोत्साह-ा:**

- सुरजा शिजा और जागरूज्ता संबंधी ज्ार्यक्र्म
- ि-म्-ालिजित ज्े जरिये सुरजा प्रबंध में श्रमिज्ों ज्ी भागीदारी

 ज्ामगार ि-रीजज्

 सुरजा समिति

 त्रिपजीय समीजाएं एवं सुरजा बोर्ड

जा.सु.म.ि-. ज्े ज्ार्य सम्पन्न ज्र-े हेतु ि-म्-ा ज्ार्यज्लाप हैं:

ज्. गैर योज-ाा

1. जा.सु.म.ि-. गैर-योज-ाा (मुज्य)

2. परीजा

ज. प्ला-ा योज-ाायें

1. जा-ा दुर्घट-ााओं ज्ा विश्लेषज एवं जा-ा सुरजा सूच-ाा पद्धति ज्ा विज्ास (एम ए एम आई डी)

2. जा.सु.म. ि-. ज्ी आधारभूत सुविधाओं एवं मूलभूत ज्ार्यों ज्ा सुदृढ़ीज्रज (एस ओ सी एफ ओ डी)

3. ई- डी.जी.एम.एस. (12वीं पंचवर्षीय योज-ाा ज्े तहत -ाई योज-ाा स्ज्ीम)

4. श्रम कल्याण योजनाएं

भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में, खासकर बीड़ी, कतिपय विनिर्दिष्ट खानों और सिनेमा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता देती है। निम्नांकित अधिनियमनों के तहत कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं:

(क) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1946

(ख) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972

(ग) लौह–अयस्क, मैग्नीज–अयस्क और क्रोम–अयस्क श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(घ) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(ङ) सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

इन निधियों का वित्तपोषण खनिजों के उपभोग या निर्यात, विनिर्मित बीड़ियों तथा फीचर फिल्मों के निर्माण पर उपकर लगाकर किया जाता है। इन निधियों से वित्त पोषित कल्याण उपाय चिकित्सा सुविधाओं, आवास, पेय जलापूर्ति, लाभार्थियों के आश्रितों को शिक्षा सहयोग, श्रमिकों के मनोरंजन आदि से संबद्ध हैं। अधिकतर क्रियाकलाप संबद्ध कल्याण आयुक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः प्रशासित होते हैं और अनुमोदित पद्धति के अनुसार कतिपय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और प्रबंधनों को भी अधिक सहायता/अनुदान सहायता दी जाती है। प्रक्रिया के अंतर्गत, उपकर की समस्त प्राप्तियां भारत की समेकित निधि में डाल दी जाती हैं और मुख्य लेखा शीर्ष 0037–सीमा शुल्क या 0038–उत्पाद शुल्क के तहत बुक की जाती हैं। तदुपरान्त, सूचना प्राप्ति पर, श्रम मंत्रालय का बजट और लेखा अनुभाग मुख्य शीर्ष 8229 लोक लेखा–प्रतिपक्षी जमा से मुख्य शीर्ष 2230–रिजर्व निधि को स्थानांतरण के तहत संबंधित कल्याण निधियों को इस उपकर के स्थानांतरण की संस्वीकृति जारी करता है जिसके लिए श्रम मंत्रालय की अनुदान मांग में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

5. सामाजिक सुरक्षा

(क) कर्मचारी राज्यबीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों का चरणों में क्षेत्रवार विस्तार किया गया है। अधिनियम में एक समर्थकारी प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत ''समुचित सरकार'' को यह शक्ति प्रदान है कि अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार स्थापनाओं के अन्य वर्गों–औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा तक कर सकते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत कई राज्य सरकारों ने अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार 10/20 या अधिक कर्मचारियों का नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, पूर्वदर्शन (प्रीव्यू) थिएटरों सहित सिनेमाओं, सड़क मोटर यातायात उपक्रमों, समाचार पत्रा स्थानाएं, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं तक किया है। उन्नीस राज्य सरकारों ने दुकानों और अन्य स्थापनाओं की व्याप्ति की सीमा को घटाकर 10 या इससे अधिक कर्मचारी कर दिया है। अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों और स्थापनाओं के कर्मचारी जो कि 15,000/– रूपये प्रतिमाह और 25,000/– रूपये प्रतिमाह महदूरी प्राप्त करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी व्याप्त किए जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार 3 वर्षों के लिए नियोक्ताओं के अंशदान को पूर्णतः वहन करती है। दिनांक 31.03.2012 तक की स्थिति के अनुसार यह योजना 807 केंद्रों पर 1.71 करोड़ बीमित व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 5.80 लाख नियोक्ताओं पर लागू हुई है।

योजना के तहत बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, प्रसूति व रोजगार चोट जैसी आकस्मिकताओं में चिकित्सा देखरेख, नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितजनों को आश्रितजन हितलाभ प्रदान किया जाता है। इसके अलावा बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि हेतु खर्च का भुगतान भी किया जाता है। बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को भी अस्पतालों में भर्ती सहित चिकित्सा देखरेख की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोजकों तथा कर्मचारियों के अंशदान द्वारा वित्त–पोषित होती है। नियोजक का अंशदान कर्मचारी की मजदूरी का 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान उसकी मजदूरी का 1.75 प्रतिशत है। 100/– रूपये प्रतिदिन तक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को (दिनांक 01/07/2011 से प्रभावी) अंशदान के अपने हिस्से की अदायगी करने से छूट प्राप्त है। चिकित्सा देखरेख पर होने वाला व्यय निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के अनुपात में बाँटा जाता है। निगम को केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

वर्ष 2011–2012 के दौरान, 9,20,854 अतिरिक्त कर्मचारियों को व्याप्त किया गया तथा 60 नए भौगोलिक क्षेत्रों में योजना का विस्तार भी किया गया। कार्यान्वयन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 2012–2013 के दौरान लगभग 2.16 लाख कर्मचारियों को व्याप्त करने का प्रस्ताव है।

विभिन्न मुख्य शीषों तथा बजटीय परिव्यय के अंतर्गत वर्ष 2013–14 निगम की आय व व्यय निम्नलिखित हैः

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	वास्तविक आंकड़े 2011–2012	वास्तविक आंकड़े 4/2012 09/2012	(**) अनंतिम बजट प्राक्कलन 2013–2014
	राजस्व प्राप्तियां			(लाख रु. में)
1.	**अंशदान**–नियोजकों एवं कर्मचारियों का अंश	707011.19	395709.01	850000.00
2.	ब्याज और लाभांश	118802.36	1224.16	150566.00
3.	मुआवजा	0.00	(*)	0.00
4.	किराया, दर तथा कर	6064.30	158.02	7015.00
5.	चिकित्सा हितलाभ के लिए राज्य सरकारों का शेयर जो प्रथमतः क.रा.बी. निगम द्वारा	2000.00	0.00	2000.00
6.	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	2542.71	965.70	1500.00
7.	विविध	2934.53	1878.03	3000.00
8.	**कुल राजस्व प्राप्तियां :**	839355.09	401934.92	1014081.00
9.	व्यय			
	हितलाभ			
10.	चिकित्सा हितलाभः	268962.11	146013.44	495045.00
11.	नकद हितलाभः	('**) 68185.04	(***)30810.43	(***)80900.00
12.	अन्य हितलाभः	320.79	100.51	578.00
13.	**कुल हितलाभः**	337467.94	176924.38	576523.00
14.	**प्रशासनिक व्ययः** अस्पताल और औषधालयों के लिए प्रावधानः	64706.48	44872.15	104075.00
15.	क) मूल्यह्रास	9099.57	(*)	11000.00
16.	ख) मरम्मत और अनुरक्षण	7313.73	(*)	11120.00
17..	ग) नगरपालिका कर **आरक्षित निधिः**	511.93	(*)	700.00
18.	आकस्मिक आरक्षित निधि	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पूंजीगत निर्माण निधि	7070.11	(*)	8500.00
20.	**राजस्व लेखे पर कुल व्यय**	426169.76	(*)	711918.00
21.	**व्यय से अधिक आय का निवल अंतर**	413185.33	(*)	302163.00

(*) वास्तविक आंकड़े वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध होते हैं।

(**) निगम द्वारा 08 फरवरी, 2013 को संपन्न 159वीं बैठक में यथा अनुमोदित और अंगीकृत बजट प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

(***) इसमें स्थायी अपंगता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ से संबंधित 09/2012 तक किया गया वास्तविक भुगतान शामिल है जबकि 2011–12 हेतु वास्तविक आंकड़े तथा 2013–14 के बजट प्राक्लन में स्थायी अपंगता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ का पूंजीगत मूल्य शामिल है।

शीर्षवार विवरणः

- क्रमांक 1 कर्मचारियों तथा नियोजकों से उनकी मजदूरी की निर्धारित प्रतिशतता पर प्राप्त अंशदान से संबंधित है। (कर्मचारी की कुल मजदूरी के अनुसार कर्मचारी अंशदान 1.75 प्रतिशत तथा नियोजक अंशदान 4.75 प्रतिशत है।)
- क्रमांक 2 उद्दिष्ट निधियों से इतर क.रा.बी. निगम की अधिशेष निधि के निवेश के लेखा पर प्राप्त ब्याज से संबंधित है।
- क्रमांक 3 अखिल भारतीय औसत से अधिक बीमारी हितलाभ के अधिक भुगतान के कारण राज्य सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति से संबंधित है।
- क्रमांक 4 अस्पताल एवं औषधालय भवनों हेतु राज्य सरकार से प्राप्त किराया, पोरकर एवं कर से संबंधित है।
- क्रमांक 5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त भुगतान से संबंधित है जहाँ योजना क. रा.बी. निगम द्वारा सीधे चलाई जाती है।
- क्रमांक 6 उन नियोजकों पर लगाए गए हर्जाने एवं दंड के लेखे पर प्राप्त भुगतान से संबंधित है जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं।
- क्रमांक 7 अनुलिपि पहचान पत्र के मूल्य के निमित्त प्रापत भुगतान, लेखा परीक्षा में नामंजूर अधिक भुगतान की वसूलियों तथा अवर्गीकृत और विविध स्वरूप की प्राप्तियों से संबंधित है।
- क्रमांक 10 बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने पर व्यय की गई राशि से संबंधित है।
- क्रमांक 11 योजना में व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ, विस्तारित बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अस्थायी अपंगता हितलाभ, स्थायी अपंगता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ के भुगतान तथा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए भुगतान से संबंधित है।
- क्रमांक 12 चिकित्सा बोर्ड तथा अपील अधिकरण के समक्ष पेशे होने, पुनर्वास भत्ता तथा विविध के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को किए गए भुगतान से संबंधित है।
- क्रमांक 14 क.रा.बी. निगम द्वारा योजना के प्रशासन पर किए गए व्यय की राशि से संबंधित है।
- क्रमांक 15 एवं 16 क.रा.बी. भवनों के मूल्यह्रास और मरम्मत एवं रखरखाव के लिए किए गए प्रावधान से संबंधित है।
- क्रमांक 17 क.रा.बी. भवनों के लिए नगरपालिका प्राधिकरणों को नगरपालिका करों के भुगतान से संबंधित है।
- क्रमांक 19 अंशदान आय की 1 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान से संबंधित है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का परिणाम एवं परिव्यय

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	2011–2012 का परिणाम	2012–2013 के लिए लक्ष्य	2013–2014 के लिए परिव्यय
1.	केन्द्रों की संख्या	807	866	923
2.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	163.49	165.66	167.90
3.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	171.01	173.28	175.62
4.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख की विस्तार किया गया है (लाख में) (क) बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	492.51	499.06	505.78
	(ख) बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	663.52	672.34	681.40
5.	अस्पतालों तथा अनैक्सियों की संख्या	198	200	202
6.	बिस्तरों की संख्या (क) बिस्तरों की संख्या सरकारी तथा अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित	28,794	30,885	30,885
	(ख) निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	800	800	800
7.	किराए के परिसरों में औषधालयों की संख्या	783	783	783
8.	पेनल क्लीनिकों की संख्या	1380	1380	1380
9.	रोगियों की संख्या जिनका उपचार किया गयाः क) अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	4.18	4.80	5.40
	(ख) औषाधलयों में उपस्थिति (बीमाकृति व्यक्ति और परिवार के सदस्य) (लाख में)			
	1. नए मामले	166.10	198.52	209.70
	2. पुराने मामले	170.34	181.97	192.90
10.	पेंशन प्राप्त कर रहे आश्रितजनों की संख्या (अर्थात्) आश्रितजन हितलाभ के लिए लाभाधिकारियों की संख्या	86,644	92,731	99,744
11.	स्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त कर रहे लाभाधिकारियों की संख्या	208583	218330	228077
12.	स्टाफ की संख्या			
	क. चिकित्सीय कार्मिक	19,217	20,178	20,682
	(ख) अन्य	16,357	17,175	17,604

I. राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना :

क.रा.बी. निगम ने 1.4.2005 से ऐसे कामगारों के लिए राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता योजना) आरंभ की है जो कम से कम 3 वर्ष तक बीमायोग्य रोजगार में रहें हों तथा छंटनी, कारखानों/स्थापनाओं की बंदी तथा स्थायी अशक्तता के कारण अनैच्छिक रूप से बेरोजगार हो गए हों। किसी बीमाकृत व्यक्ति की अपने सम्पूर्ण बीमायोग्य रोजगार के दौरान बेरोजगारी भत्ता आहरित करने की पात्रता की अधिकतम अवधि 12 माह होगी। बेरोजगारी भत्ते का दावा प्रस्तुत करने की अवधि को 01.07.2010 से 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया गया है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता योजना के प्राप्तकर्ता तथा अपने कौशल का उन्नयन करने के इच्छुक बीमाकृत/बीमाकृत महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन योजना भी आरंभ की गई है। उन्हें देश के विभिन्न केंद्रों पर स्थित विभिन्न उन्नत संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र बीमाकृत व्यक्ति उसी अवधि हेतु चिकित्सा हितलाभ के लिए भी पात्र हैं। अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2012 की अवधि के बीच वास्तविक व्यय 171.89 लाख रूपये है।

ii अस्पतालों का आधुनिकरण/उन्नयन/विस्तारण

- निगम ने निर्णय लिया है कि सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण/उन्नयन/विस्तार किया जाए तथा उन्हें निजी निगमित अस्पतालों के समान बनाया जाए। निर्धारित तल चिह्न यह है कि बीमाकृत व्यक्तियों को सभी उपचार (नैदानिक सहित) आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए जाएं और उसे केवल अपवाद–स्वरूप ही बाहर अभिनिर्देशित किया जाए।
- क.रा.बी. अस्पतालों के लिए उपस्कारों की शीघ्र मंजूरी को सुसाध्य बनाने के लिए राज्य स्तर पर वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों को प्रति यूनित 25 लाख रूपये के उपस्करों की मंजूरी प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं।
- क.रा.बी. निगम अस्पतालों में सीधे एमआरआई/सीटी स्कैन आदि जैसे जटिल उपस्कर लगाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- राज्य सरकारों की चिकित्सा देखरेख पर व्ययों की प्रतिपूर्ति की उच्चतम सीमा को 01/04/2012 से 1200/– रूपये से बढ़ाकर 1500/–रू. प्रतिवर्ष प्रति बीमाकृत परिवार एकक कर दिया गया है।
- राज्यों में अस्पतालों का उपयोगन जैसे कतिपय मापदंडों को पूरा करने पर राज्य सरकार को 1500/– रू. की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त प्रति वर्ष प्रति बीमाकृत परिवार एकक 200/–रू. की अतिरिक्त राशि दी गई है।
- डाइलिसिस सुविधा को अति विशिष्टता से हटा दिया गया है और इसकी आवश्यकता होने वाले सभी रोगियों को, यदि वे चिकित्सा हितलाभ के हकदार हैं, यह सुविधा दी जा रही हैं।

iii अस्पताल विकास समितियों की स्थापना

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 08.07.2008 को आयोजित बैठक में अस्पतालों की कार्य प्रणाली के पुनर्विलोकन तथा अनुवीक्षण करने और अस्पतालों की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए तुरन्त निर्णय लेने के लिए सभी पणधारियों के प्रतिनिधित्व के साथ देश के सभी क.रा.बी. अस्पतालों के लिए अस्पताल विकास समितियों का गठन किया है। समिति को अपेक्षित कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ताकि इनके निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

vi अति विशिष्टता उपचारः

अगस्त, 2008 तक अति विशिष्टता उपचार पर व्यय राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा के अंतर्गत वहन किया जाता था लेकिन अब 01.08.2008 से अति विशिष्टता उपचार पर व्यय को अधिकतम सीमा के अलावा निगम सीधे वहन करेगा।

v चिकित्सा शिक्षा की संस्थाओं की स्थापनाः

क.रा.बी. निगम ने शैक्षिक वर्ष 2012—13 के दौरान राजाजीनगर, बंगलौर स्थित अपने अस्पताल में स्नातक—पूर्व पाठयक्रम (एम.बी.बी.एस.) हेतु अपना प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय आरंभ किया। पूर्व में निगम ने देशभर में विभिन्न विषयों में छह अस्पतालों में स्नातकोत्तर संस्थाएं स्थापित की तथा नए पाठयक्रमों के आरंभ करने हेतु नियामक संस्था से अनुमतिमांगी गई है।

रोहिणी में स्थापित क.रा.बी. निगम का दंत्य महाविद्यालय जब से आरंभ हुआ तब से अब तक अपना तृतीय वर्षीय पाठयक्रम पूरा कर रहा है। कर्नाटक के गुलबर्ग और इंद्रा नगर में नए नर्सिंग महाविद्यालय, के.के. नगर—चेन्नै, जोका—पश्चिम बंगाल और गुलबर्ग—कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय तथा गुलबर्ग—कर्नाटक में एक नया महाविद्यालय खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

अनुवीक्षण तंत्र (पृष्ठ संख्या 4 पर क.रा.बी. योजना का परिणाम और परिव्यय):

निगम में विभिन्न कार्य मदों हेतु वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य/परिव्यय दोनों के लिए नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार एक सुविकसित अनुवीक्षण तंत्र विद्यमान है।

- क्रमांक 1 पर उल्लिखित मद के संबंध में अनुवीक्षण बीमा आयुक्त के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.) द्वारा किया जाता है।
- क्रमांक 2, 3, 4, 10 और 11 पर उल्लिखित मद के संबंध में अनुवीक्षण बीमा आयुक्त के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (बीमांकन) द्वारा किया जाता है।
- क्रमांक 5, 6 और 7 पर उल्लिखित मद के संबंध में अनुवीक्षण मुख्य इंजीनियर के नियंत्रणाधीन संयुक्त निदेशक (संपत्ति प्रबंधन प्रभाग) द्वारा किया जाता है।

- क्रमांक 8, 9 और 12 पर उल्लिखित मद के संबंध में अनुवीक्षण चिकित्सा आयुक्त के नियंत्रणाधीन उप चिकित्सा आयुक्त द्वारा किया जाता है।

(ख) कर्मचारी गविष्य निधि संगठन

I. <u>ज र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 :</u>

(ज) संजठ-ा जी जतिविधियों, अधिदेश, लज्यों एवं -ीति रूपरेजा पर परिचयात्मज -ोट :

ज र्मचारी भविष्य -िधि संजठ-ा (ज.भ.-ि.सं.) एज सामाजिज सुरजा संजठ-ा है जिसज ा जठ-ा ज र्मचारी भविष्य -िधि एवं प्रजीर्ज उपबंध अधि-ियम, 1952 (1952 ज ा 19) (अधि-ियम) जे अंतर्जत जिया जया । यह अधि-ियम फैक्ट्रियों एवं अ-य स्थापनाओं में जार्यरत ज र्मचारियों जे लिए भविष्य -िधि, पेंश-ा -िधि एवं -िजेप सहबद्ध बीमा -िधि उपलब्ध ज रा-ो ज ा जार्य ज रता है । ज र्मचारी भविष्य -िधि संजठ-ा जे सृज-ा ज ा एज मात्र उद्देश्य अधि-ियम जे उपबंधों एवं उसजे अंतर्जत ब-ााई जई ती-ों योज-ााओं, यथा ज र्मचारी भविष्य -िधि योज-ाा, 1952, ज र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 तथा ज र्मचारी -िजेप सहबद्ध बीमा योज-ाा, 1976 ज ो प्रशासित ज र-ाा है । इ-ा ती-ों योज-ााओं ज ो ब-ाा-ो ज ा उद्देश्य व्यवसायिज एवं औद्योजिज स्थाप-ााओं में जार्यरत श्रमिजों ज ो सेवा-िवृत्ति हो-ो पर संचित भविष्य -िधि तथा पेंश-ा लाभ जे रूप में आर्थिज लाभ तथा सेवा जे दौरा-ा मृत्यु हो-ो पर ज वर्ड ज र्मचारियों जे परिवार जे सदस्यों ज ो बीमा लाभ उपलब्ध ज रा-ाा है । वर्तमा-ा में ज र्मचारी भविष्य -िधि संजठ-ा आर्थिक लाभ जे रूप में 5 ज रोड़ से ज्यादा सदस्यों तथा प्रभावी रूप से अभिदाताओं जे 20 ज रोड़ से ज्यादा व्यक्तिजत परिवार जे सदस्यों ज ो सामाजिज सुरजा उपलब्ध ज राता है ।

(ज) अधिदेश, लज्य एवं -ीतिजत रूपरेजा

जैसाजि अधि-ियम जी प्रस्ताव-ाा से स्पष्ट है जि इसे फैक्ट्रियों एवं अ-य स्थापनाओं में जार्यरत ज र्मचारियों जे लिए भविष्य -िधि, पेंश-ा -िधि एवं -िजेप सहबद्ध बीमा -िधि ज ा संस्थाप-ा उपलब्ध ज रा-ो जे लिए ब-ााया जया है । यह अधि-ियम श्रमिज वर्ज एवं औद्योजिज ज ा-ू-ों से संबद्ध है । इसे संसद द्वारा भारत जे संविधा-ा जे अ-ुच्छेद 38 जे अंतर्जत -िदेशात्मज सिद्धांत जे अंतर्जत -िर्धारित उद्देश्यों अर्दात राज्य-आय, स्दिाति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमा-ाता ज ो ज म ज र-ो ज ा प्रयास ज रेजा तथा अ-ुच्छेद 43 जे अंतर्जत -िदेशात्मज सिद्धांत जे अंतर्जत -िर्धारित उद्देश्यों ज ो प्राप्त ज र-ो ज ा प्रयास ज रेजा । जिसजे अ-ुसार च्राज्य सभी श्रमिजों ज ो -िर्वाह मजदूरी, जार्य जी परिस्थितियाँ, उपयुक्त जीव-ा स्तर तथा म-ोरंज-ा, सामाजिज तथा सांस्ृतिज अवसरों ज ा पूर्ज आ-ांद ले-ाा सु-िश्चित ज र-ो ज ा प्रयास ज रेजा ।

उपर्युक्त सांविधिज उपबंधों जे भाव ज ो ग्रहज ज रते हुए ; अधि-ियम ज ा लज्य श्रमिजों जी सामाजिज एवं आर्थिक स्थिति में सुधार ज र-ो जे साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादजता में सहभाजी श्रमिज बल जे ज ल्याज ज ो बढ़ावा दे-ाा है ।

(ज) संजठ-ाात्मज ढांचा

ज र्मचारी भविष्य -िधि संजठ-ा जी जार्रवाई ज ा प्रशास-ा देशभर में व्याप्त लजभज 136 फील्ड जार्यालयों जे -ेटवर्ज जे द्वारा जे-द्रीय -यासी बोर्ड, ज र्मचारी भविष्य -िधि -ाामज त्रिपजीय -िजाय द्वारा जिया जाता है जिसमें -ियोक्ता, ज र्मचारियों तथा सरज ार जे प्रति-िधि शामिल होते हैं ।

(घ) संजठ-ा द्वारा लाजू ज़ी जईं मुज्य योज-ााएं

I. ज़र्मचारी भविष्य -िधि योज-ाा

वर्तमा-ा में अधि-ियम उ-ा सभी 187 उद्योजों स्थापना वर्जों पर लाजू होता है जिसमें 20 या उससे अधिज व्यक्ति ज़ार्यरत हों । अ-य स्थापनाएं भी -ियोक्ता एवं ज़र्मचारियों ज़े बहुमत ज़े बीच हुई आपसी सहमति ज़े बाद स्वैच्छिज रूप से अधि-ियम ज़ी परिधि ज़े अंतर्जत आ सज़ती हैं । ती-ों योज-ााओं ज़े अंतर्जत ज़वरेज अधिज़तम 6500- रूपये प्रतिमाह तज़ वेत-ा ले-ो वाले ज़र्मचारियों तज़ सीमित है ।

ज़र्मचारी भविष्य -िधि संजठ-ा ज़ी मुज्य जतिविधियाँ -िम्-ालिजित हैं :-

1. सभी ज़वर्ड स्थापनाओं ज़े सभी पात्र सदस्यों ज़ो उपयुक्त रूप से उपयुक्त समय पर लाभ उपलब्ध ज़रा-ाा।
2. -ियोक्ताओं द्वारा सांविधिज उपबंधों ज़ा अ-ुपाल-ा सुनिश्चित ज़रवा-ाा तथा सांविधिज देयों ज़ो तत्ज़ाल जमा ज़रा-ाा तथा रिर्ट-ा भर-ाा सुनिश्चित ज़रा-ाा ।
3. ती-ों -िधियों तथा अभिदाताओं ज़े जातों ज़े रजरजाव ज़ो अद्यत-ा ज़र-ाा ।
4. आवश्यज़ता पड़-ो पर ज़ुछ विशेष ज़ार्यों ज़े लिए अभिदाताओं ज़ो उ-ाज़े ज़र्मचारी भविष्य -िधि जमा से अज्रिम ले-ो ज़ी स्वीज़ृति दे-ाा ।
5. प्रत्येज़ अभिदाता ज़ो प्रतिवर्ष भविष्य -िधि जाते ज़ी विवरजी उपलब्ध ज़राज़े उसे उसज़े भविष्य -िधि जाते में जमा राशि ज़े विषय में सूच-ाा दे-ाा ।
6. सदस्य ज़ी मृत्यु हो-ो पर अदावा सदस्यता समाप्त हो-ो ज़ी स्थिति में अभिदाताओं ज़े जातों ज़ो तत्ज़ाल -िपटा-ाा ।

II. ज़र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 :

ज़र्मचारी पेंश-ा योज-ाा ज़ो लाजू ज़र-ो से संबंधित राष्ट्रपति ज़ा अध्यादेश 17.10.1995 ज़ो जारी ज़िया जया। तद-ुसार, ज़े-द्र सरज़ार -ो -िजी सार्वजनि-ज़ जेत्र ज़ी स्थापनाओं ज़े श्रमिज़ों ज़र्मचारियों ज़ो पेंश-ा लाभ प्रदा-ा ज़र-ो ज़े लिए 16.11.1995 ज़ो ज़र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 ज़ो अधिसूचित ज़र दिया।

ज़र्मचारी पेंश-ा -िधि ज़ा सृज-ा -ियोक्ताओं ज़े भाज से ज़र्मचारी ज़े वेत-ा ज़ा 8.33 प्रतिशत अंतरित ज़र-ो ज़े साथ हुआ । ज़े-द्र सरज़ार भी ज़र्मचारी ज़े वेत-ा में 1.16 प्रतिशत ज़ी दर से अंशदा-ा ज़रती है, जोज़ि ज़र्मचारी पेंश-ा योज-ाा, 1995 ज़े सदस्य हैं ।

ज़र्मचारी पेंश-ा योज-ाा ज़े अंतर्जत अभिदाताओं ज़ो वार्धक्य -िवृत्ति सेवा-िवृत्ति लघु सेवा तथा अशक्तता पेंश-ा दे-ो ज़ा भी प्रावधा-ा है । परिवार ज़े लिए, विधवा पेंश-ा, मासिज़ बाल पेंश-ा, मासिज़ अ-ााथ पेंश-ा तथा -ाामितियों ज़ो पेंश-ा दे-ो ज़ा प्रावधा-ा है । साथ ही, सदस्यों द्वारा घटी हुई पेंश-ा ले-ो ज़ा विज़ल्प दे-ो पर पूंजी वापिसी ज़ा भी प्रावधा-ा है ।

III. ज़र्मचारी -िजेप सहबद्ध बीमा योज-ाा, 1976 ;

इस योज-ाा ज़ा उद्देश्य सेवा ज़े दौरा-ा मृत्यु ज़ो प्राप्त हो-ो वाले सदस्यों ज़ो बीमा ज़वर प्रदा-ा ज़रते हुए

इस ज्वर जो मृतज सदस्यों जे भविष्य निधि जमा जे साथ संबद्ध जर-ाा है । यह योज-ाा 01.08.1976 जो लाजू जी जई तथा यह उ-ा सभी फैक्ट्रियों स्थापनाओं जे जर्मचारियों पर लाजू होती है जि-ा पर जर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रजीर्ज उपबंध अधि-ियम, 1952 लाजू होता है । -ियोक्ता उ-ा सभी जर्मचारियों जे वेत-ा जे 0.5% जी दर से प्रतिमाह अंशदा-ा जरते हैं जोजि निधि जे सदस्य हैं । इस निधि जा क्रिया-वय-ा जर्मचारी -िजेप सहबद्ध बीमा योज-ाा, 1976 जे अंतर्जत बीमा लाभ (रू. 1,00,000-) प्रदा-ा जर-ो जे लिए जिया जाता है ।

6. असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा

देश जे जुल श्रम बल जा लगभग 94 प्रतिशत असंगठित जेत्र जे श्रमिजों जा है। सरजार जतिपय व्यावसायिज समूहों जे लिए जुछ सामाजिज सुरजा उपायों जा जार्या-वय-ा जरती रही है जि-तु ज्वरेज बहुत जम है। अधिजतर श्रमिजों जो अब भी जोई सामाजिज सुरजा ज्वरेज हासिल -हीं है। इ-ा जामगारों जो सामाजिज सुरजा जी आवश्यजता महसूस जरते हुए, जे-द्र सरजार -ो असंगठित जर्मजार सामाजिज सुरजा अधि-ियम, 2008 अधि-ियमित जिया है।

असंगठित जेत्र जे श्रमिजों जी एज बड़ी असुरजा यह है जि वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और ऐसे श्रमिजों तथा उ-ाजे पारिवारिज सदस्यों जो चिजित्सा सुविधा तथा अस्पताल में भर्ती जरा-ो जी आवश्यजता पड़ती है। स्वास्थ्यसुविधाओं जे विस्तार जे बावजूद भारत में मा-ाव वंच-ा जे सर्वाधिज प्रमुज जारजों में से एज है उ-ाजा बीमार पड़-ाा। यह साफ तौर पर महसूस जिया गया है जि गरीबों जो स्वास्थ्य बीमा जे रूप में संरजज प्रदा-ा जर-ाा एज उपाय है ताजि ये गरीब स्वास्दयगत जारजों से निर्ध-ाता जे शिजार -ा हो जाएं। तदाापि, स्वास्थ्यबीमा दे-ो जे अधिजतर प्रयासों में पूर्व में, स्वरूप और जार्या-वय-ा दो-ाों दृष्टियों से जठि-ााईयां आई हैं। गरीब लोग लागत जे जारज या लाभों जो ठीज से -ा समझ पा-ो जे जारज स्वास्थ्य बीमा ले सज-ो में अजम होते हैं या इसजे प्रति अ-िच्छुज होते हैं। जासजर ग्रामीज जेत्रों में स्वास्थ्यबीमा जा आयोज-ा और प्रशास-ा अधिज जठि-ा है।

असंगठित जेत्र जे गरीबी रेजा से -ीचे जे परिवारों जो स्मार्ट जार्ड आधारित बि-ाा -ाज्द जर्च जिए अस्पताल में भर्ती जी सुविधा दे-ो जे लिए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योज-ाा** 1 अक्तूबर, 2007 से शुरू जी गई है। यह योज-ाा 01.04.2008 से लागू जी गई है। असंगठित जेत्र जे श्रमिजों और उ-ाजे परिवार जो (5 जी इजाई) इस योज-ाा जे तहत ज्वर जिया जाएगा। प्रति परिवार प्रतिवर्ष फ्लोटर आधार पर जुल 30,000-रुपये जी राशि जा बीमा जिया जाएगा। जे-द्र और राज्य सरजार प्रीमियम में 75:25 आधार पर हिस्सेदारी जरेंगी। पूर्वोत्तर जेत्र और जम्मू और जश्मीर जे संबंध में प्रीमियम जा अ-ुपात 90:10 होगा। यह अ-ुमा-ा है जि वित्तीय वर्ष 2012-13 जे दौरा-ा अ-ुमा-ित लाभार्दियों जे लगभग 33 प्रतिशत (1.25 Crore) लाभार्थी महिलाएं होंगी ।

7. बाल एवं महिला श्रम

(क) बाल श्रम

अधिदेश, लक्ष्य एवं नीतिगत संरचना के उद्देश्यों का ब्यौरा एवं भविष्य का मत:

I. योजना का शीर्षक : स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

II. आरंभ करने का वर्ष : वर्ष 1988 से आगे

III. वित्तीय ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

11वीं योजना (2007-12) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2011-12) वास्तविक व्यय	11वीं योजना (2007-12) वास्तविक व्यय	11वीं योजना (2007-12) प्रस्तावित परिव्यय	वार्षिक योजना (2011-12) अनुमानित व्यय	वार्षिक योजना (2013-14) प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6
849*	142.66*	621.16*	2440*	120*	200*

* इसमें स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के लिए प्रावधान भी शामिल है।

** 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 76.19 करोड़ रुपये हैं। ईएफसी ज्ञापन को अभी तक अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया है।

IV योजना का उद्देश्य

इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों के माध्यम से पुनर्वासित कराने की योजना है जो जोखिमकारी व्यवसायों में संलग्न बच्चों को केन्द्र में रखकर बनाया गया है। बाल श्रमिक के पुनर्वास हेतु लाभार्थ पैकेज में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख–रेख, मनोरंजन, वृत्तिका आदि शामिल है। बाल श्रम के दृढ़तापूर्ण प्रवर्तन संबंधी अन्य गतिविधियों में विधानों, बाल श्रम के कुप्रभावों संबंधी जागरूकता सृजन करने तथा बाल श्रमिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार शामिल है।

V पिछली/चालू गतिविधियां:

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

भारत सरकार ने बाल श्रम से प्रभावित 12 जिलों में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य कर रहे बच्चों का पुनर्वास करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) नामक एक योजना वर्ष 1988 से शुरू की है। यह बाल श्रमिक के पुनर्वास तथा बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित एक प्रमुख योजना है।

15 अगस्त, 1944 को जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजित बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया था। तदनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 456/1986 के निर्णय में कतिपय निर्देश दिए हैं जो जोखिमकारी व्यवसायों में इस प्रकार कार्य कर रहे बच्चों के संबंध में जिन्हें कार्य से हटा कर पुनर्वासित किया जाना और जो गैर जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य कर रहे बच्चों की कार्यदशाओं की विनियमित

एवं उसमें सुधार किया जाना है। इस निर्णय में जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है वह दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 का है जिसमें जोखिमकारी व्यवसाय से हटाए गए बच्चे के स्थान पर परिवार के किसी वयस्क सदस्य को वैकल्पिक नियोजन देना, 6 माह की अवधि के भीतर जोखिमकारी नियोजनों में काम कर रहे बच्चों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करना, कार्य से हटाए गए बच्चों को उपयुक्त संस्थान में शिक्षा दिलाना आदि शामिल है। इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन संबंधी राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हलफनामे के रूप में प्रस्तुत की गई है।

1. देश में बाल श्रम से प्रभावित जिलों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण।

2. एनसीएलपी परियोजना की गतिविधियों को पूरा करने के लिए देश के 271 जिलों में परियोजना सोसायटियों का वित्तपोषण। वर्तमान में यह योजना 20 राज्यों के 271 जिलों में लगभग 3.39 लाख बाल बच्चों के लिए 7311 स्कूलों के माध्यम से प्रचालन में है।

3. देश के 271 जिलों में विशेष स्कूलों के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए 9–14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वृत्तिका, स्वास्थ्य देख–रेख तथा मनोरंजन प्रदान किया जाता है।

4. बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए तथा उनके माता–पिता के आय सृजन के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों के अन्य विभागों के साथ समभिरुपता।

VI 2013–14 एवं उससे आगे जारी रखने का औचित्यः

यद्यपि, हमारे संविधान में यह स्पष्ट उपबंध है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने के लिए मजबूर न किए जाएं, उनके हितों की रक्षा की जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बाल श्रम की समस्या बड़े पैमाने पर मौजूद है। कुल मिलाकर यह समस्या बड़ी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 5.14 वर्ष की आयु समूह में 1.26 करोड़ बच्चे आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2004–05 के सर्वेक्षण के दौरान 90.75 लाख कामकाजी बच्चे थे और वर्ष्ज्ञ 2009–10 के सर्वेक्षण के दौरान कामकाजी बच्चों की संख्या का अनुमान 49.8 लाख लगाया गया जो कमी का रूझान दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार प्रतिषेध के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन के मामले पर कार्रवाई कर रहा है। बाल श्रमिकों का पुनर्वास एनसीएलपी स्कूलों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन से बाल श्रम के उन्मूलन के हमारे प्रयासों को निश्चित रूप से काफी बल मिलेगा। बच्चे जिन्हें कक्षा में होना चाहिए वे कार्यस्थल पर होते हैं और कारखाने में होने के बजाए उन्हें विद्यालय जैसा अनुकूल स्थान प्राप्त होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी यह विचार है कि एनसीएलपी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 4 के अंतर्गत विशेष स्कूलों के रूप में जारी रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति को कारखानों, खान अथवा किसी जोखिमकारी नियोजन में नियोजित नहीं किया जाना हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति के अंतर्गत यह निदेश जारी करें कि कम आयु के बच्चों का दुरूपयोग न किया जाए और उन्हें अपनी आयु अथवा क्षमता के अनुपयुक्त व्यवसायों में जाने के लिए आर्थिक जरूरत के कारण मजबूर न होना पड़े। हाल ही में, अनुच्छेद 21–क अंतः स्थापित करके, राज्य को 6–14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार का उद्देश्य सभी प्रकार के बाल श्रम का उन्मूलन करना है। जिसकी शुरूआत जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं से कामकाजी बच्चों को हटाकर की जानी है। इस उद्देश्य को पूरा करने के क्रम में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 12वीं योजना में भी जारी रखा जाए। इस योजना के विस्तार के अलावा कई नये घटकों को भी जोड़े जोने का प्रस्ताव है यथा–15–18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की शुरूआत, एसएसए और आरटीई के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में माने जाने वाले एनसीएलपी जिलों में विशेष विद्यालय। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के अनुसार एसएसए योजना में मिलने वाले सभी लाभों का विस्तार इस योजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों तक भी किया गया है ताकि यह योजना और प्रभावी हो सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं जैसे गोताखोरी, अत्यधिक ताप और अधिक ठंड वाले स्थान पर कार्य करने की प्रक्रियाओं के समीप (उदाहरणस्वरूप भट्ठी के पास काम करना) मशीनीकृत मत्स्यन, खाद्य–प्रसंस्करण, पेय पदार्थ संबंधी उद्योग, लकड़ी का रख–रखाव एवं लादने के कार्य, मशीनी लुम्ब्रिंग, वंयर हाउसिंग और उन प्रक्रियाओं जिनमें स्लेट, पेंसिल उद्योग, पत्थर की पिसाई, स्लेट स्टोन का खनन, स्टोन क्वेरिज, एगेट उद्योग संबंधी कार्य में वर्ष 2008 से बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है। सरकार ने हाल ही में दो अन्य व्यवसायों यथा सर्कस तथा हाथियों के देखभाल के कार्य में बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है। इस संबंध में 7 जून, 2010 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियों की सूची में नये व्यवसाय को शामिल करने का निर्णय बाल श्रम संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा सकता है जिसमें इन जोखिमकारी व्यवसाय/प्रक्रियाओं पर बच्चों के संदर्भ में विचार किया गया जो 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों के लिए बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निषिद्ध है। पूरे देश भर में इन व्यवसाय/प्रक्रियाओं में बाल श्रम की घटना पूर्ण रूप से व्याप्त है। इस अधिसूचना के प्रवर्तन के लिए 12वीं योजना में इस योजना की निरंतरता अपेक्षित होगी।

स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान

1. योजना का उद्देश्य/लक्ष्यः

इस योजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों की पहचान करना तथा उन्हें स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले विशेष विद्यालयों के माध्यम से कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत केवल वे जिले शामिल किए जाते हैं जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम योजना शुरू नहीं की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रमिकों के लिए इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि कुल परियोजना लागत का 75% है। शेष खर्च का वहन संबंधित संगठन द्वारा किया जाना है।

II पिछली/चालू गतिविधियां :

सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 30 गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को मंत्रालय द्वारा विशेष विद्यालयों को चलाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सभी चालू परियोजनाओं का उद्देश्य 5000 बच्चों (लगभग) को लाभान्वित करना है। इन बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा, वृत्तिका, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख–रेख तथा व्यवसाययिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

III 2013–14 एवं उससे आगे इसे जारी रखने का औचित्यः

हमारे संविधान में यह स्पष्ट उपबंध है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने के लिए मजबूर न किए जाएं, उनके हितों की रक्षा की जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में बाल श्रम की समस्या बड़े पैमाने पर मौजूद है। कुल मिलाकर यह समस्या बड़ी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 5–14 वर्ष की आयु समूह में 1.26 करोड़ बच्चे आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 1.13 करोड़ थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष्ज्ञ 2004–05 में देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 करोड़ थी और यह संख्या वर्ष्ज्ञ 2009–10 में देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 49.84 करोड़ थी। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष की आयु से नीचे के किसी व्यक्ति को कारखानों, खान अथवा किसी जोखिमकारी नियोजन में नियोजित नहीं किया जाना हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति के अंतर्गत यह निदेश जारी करें कि कम आयु के बच्चों का दुरूपयोग न किया जाए और उन्हें अपनी आयु अथवा क्षमता के अनुपयुक्त व्यवसायों में जाने के लिए आर्थिक जरूरत के कारण मजबूर न होना पड़े। हाल ही में, अनुच्छेद 21–क अंतः स्थापित करके, राज्य को 6–14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार प्रतिषेध के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन के मामले पर कार्रवाई कर रहा है। बाल श्रमिकों का पुनर्वास एनसीएलपी स्कूलों के माध्यम से किया जाता है। यदि उन जिलों में एनसीएलपी विद्यालय मौजूद नहीं हैं तो वहां सहायता अनुदान के अंतर्गत विशेष विद्यालयों का प्रचालन बाल श्रम के उन्मूलन के किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी एनसीएलपी विद्यालयों के माध्यम से बाल श्रम के उन्मूलन तथा उनके पुनर्वास के लिए इस मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। उनका यह विचार है कि एनसीएलपी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का धारा 4 के अंतर्गत विशेष स्कूलों के रूप में जारी रखा जाए।

(ख) महिला श्रम

महिला श्रम कल्याण हेतु सहायता अनुदान स्कीम

महिला श्रम की सहायता अनुदान स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गयी थी तथा वर्षों से चली आ रही है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को कार्यशील महिलाओं को संगठित करने तथा केन्द्र/राज्य सरकारों के विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने, महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए तथा महिला श्रम की समस्याओं के बारे में सामान्य जागरूकता उत्पन्न करने पर लक्षित सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए अनुदान के रूप में निधियां प्रदान की जा रही है। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला श्रम के लाभ के लिए कार्योन्मुखी कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता की राशि परियोजना की आवर्ती लागत का 75ः (उत्तरपूर्वी राज्यों में 90ः) है। लागत का शेष भाग संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाना है।

स्वैच्छिक एवं गैर–सरकारी संगठनों के अलावा, संसद/राज्य विधान के अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की योजना तथा गैर–योजना स्कीम के

अंतर्गत सृर्जित किसी स्व–सहायता समूह को अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों की महिला श्रम से संबंधित समस्याओं और मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करने तथा अनुसंधान अध्ययन संचालित करने हेतु चयनित संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 100: अनुदान प्रदान किया जाता है।

केन्द्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों को महिला श्रम के लाभ हेतु उपलब्ध विभिन्न स्कीमों संबंधी सूचना प्रसारित करने के लिए मजदूरी के क्षेत्र जैसे न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक आदि में महिला श्रम के बीच जागरूकता उत्पन्न करने पर विशिष्ट संकेन्द्रण के साथ 12वीं योजना अवधि के दौरान अनुदान स्कीम के अंतर्गत 375 लाख रूपये के वृद्धित आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है।

2011–12 में स्कीम के अंतर्गत 39 गैर–सरकारी संगठनों का वित्त–पोषण किया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 (7.2.2013 तक) के दौरान 6700 महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने वाली पांच परियोजनाओं को अनुदान की संस्वीकृति दी गयी।

2013–14 तथा इससे आगे योजना जारी रखने का औचित्यः

यह स्कीम महिला कामगारों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत उनके लिए उपलब्ध अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक बनने में सहायता करने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाने के आशय से आरंभ की गई थी। इस स्कीम के माध्यम से बढ़ने वाले आशान्वित लाभों को अभी असंगठित क्षेत्र में (व्ययन हेतु अत्यल्प निधियों के कारण) संतोषजनक संख्या में महिला कामगारों तक पहुंचना है। इस कारण, आवश्यक है कि स्कीम को वृद्धित परिव्यय के साथ जारी रखा जाए। महिला श्रम संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने वाले अभियान चलाने के लिए अनुदान प्रदान करने संबंधी स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों पर इस स्कीम के अंतर्गत उनकी उपयुक्तता के शर्ताधीन विचार किया जाएगा।

8. श्रम शिक्षा

जुलाई 1974 में स्थापित वी.वी. गिरि राश्ट्रीय श्रम संस्थान, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं षिक्षण के क्षेत्र में संस्थान एक अग्रणी संस्थान है।

उद्देश्य तथा अधिदेश

संस्थान के ज्ञापन पत्र में उन कार्यकलापों की विस्तष्त रूपरेखा दी गई है जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। ये कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं:–

- प्रषिक्षण और षिक्षा के कार्यक्रमों, संगोश्ठियों और कार्यषालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता देना;
- स्वयं अथवा राश्ट्रीय व अन्तर्राश्ट्रीय, दोनों स्तरों के अन्य अभिकरणों के साथ मिलकर अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा और उसका समन्वय करना;

- निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करनाः

  अ) षिक्षा, प्रषिक्षण और अभिविन्यास

  ब) क्रियानिश्ठ अनुसंधान को षामिल करते हुए अनुसंधान;

  स) परामर्ष; और

  द) प्रकाषन और अन्य ऐसी गतिविधियाँ, जो सोसायटी के उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए आवष्यक हों।

- श्रम और संबंद्ध कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में आने वाली विषिश्ट समस्याओं का विष्लेशण करना और उनके निराकरण संबंधी सुझाव देना;

- पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की स्थापना एवं रखरखाव; और

- देष और विदेष की समान उद्देष्य वाली अन्य संस्थाओं और संगठनों से सहयोग करना।

संस्थान का ढांचा

संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए शासी निकाय के रूप में महापरिशद है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मंत्री हैं। महापरिशद संस्थान के कार्यचालन के नीति संबंधी स्थूल प्राचल निर्धारित करती है। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यपरिषद संस्थान की गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं मार्गदर्शन करती है। महापरिशद और कार्य परिशद दोनों ही त्रिपक्षीय प्रकृति के हैं जिनके सदस्यों में सरकार, ट्रेड यूनियन संघों और नियोजकों के प्रतिनिधि होतेहैं। इनके अतिरिक्त श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लब्ध–प्रतिश्ठित व्यक्तियों को भी इनका सदस्य बनाया जाता है। संस्थान के महानिदेषक संस्थान के मुख्य कार्यपालक होते हैं जो संस्थान के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दैनिक कार्यों में सहायता करने के लिए विविध विषयों में पारंगत प्रोफेषनल तथा प्रशासनिक सहायक स्टाफ है।

(ख) श्रमिक शिक्षा योजना

प्रस्तावना

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (के.श्र.शि.बो.) की स्थापना राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्रामीण स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिए सन् 1958 में एक त्रिपक्षीय संस्था के रूप में हुई। बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में है।

संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पर्यवेक्षकीय एवं प्रबंधकीय वर्गों को गी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए अधिकतम कार्यक्रम प्रबंधनों, श्रम

संघों एवं अन्य अगिकरणों के सहयोग से निःशुल्क आयोजित किए जाते है। जबकि, संगठित क्षेत्र में चुनी हुई इकाईयों में कुछ कार्यक्रम कोष निर्माण के हैं जिनके लिए प्रबंधकों से नाममात्र रकम ली जाती है। ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए आयोजित कार्यक्रम के प्रतिगागियों को प्रतिव्यक्ति रु. 100/– प्रतिदिन गत्ता दिया जाता है। बोर्ड के उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार अपने देश के सामाजिक–' आर्थिक विकास में प्रगावात्मक गूमिका निगाने हेतु श्रमिक वर्ग को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सन् 1970 में स्थापित गारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (गा.श्र.शि. सं.) मुंबई द्वारा केन्द्रीय श्रम संघ संगठनों एवं परिसंघों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा बोर्ड के अधिकारियों के लिए नियोजनपूर्व प्रशिक्षण एवं अगिविन्यास प्रशिक्षण गी आयोजित किए जाते हैं।

क्षेत्रीय एवं इकाई/ग्रामीण स्तरों पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड के 50 क्षेत्रीय एवं 09 उप–क्षेत्रीय निदेशालय पूरे देश में कार्यरत हैं। इन 50 क्षेत्रीय निदेशालयों में से 08 आवासीय निदेशालय हैं।

दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, गुवाहाटी एवं गोपाल में स्थित छह आंचलिक निदेशालय अंचलों के अधीन क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय निदेशालयों की गतिविधियों का अनुवीक्षण करते हैं।

उद्देश्य

श्रमिक शिक्षा योजना के उद्देश्य निम्न हैं:

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ि, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द्र, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना ;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण एवं महिला श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना ;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति और अधिक समझबूझ का विकास करना;
- समय-समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना;

- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत् उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना.

9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक संस्थापक सदस्य है जो इसकी गतिविधियों में प्रारम्भ से अब तक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सरकारी समूह में भारत का गैर चयनित स्थान है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा गठित सभी महत्वपूर्ण समितियों में इसका प्रतिनिधित्व है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वित्त पोषण मुख्यतः सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त अंशदान द्वारा होता है।

10. सूचना प्रोद्योगिकी का विकास

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए योजना निधि का 2–3***** का प्रावधान करने के लिए योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार यह सतत चलने वाली योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कम्प्यूटरीकरण में सुधार लाने की दिशा में प्रयास शुरू करना और इसकी क्षमता में सुधार लाना है। इस योजना की प्रगति का नियमित रूप से अनुवीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रबंधक है जो योजना के लिए सहायता, प्रबंधन, योजना, कार्यकरण तथा समीक्षा करता है। सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय में मानकों की एकरूपता और विकास के औजारों का उपयोग अनुप्रयोज्य मॉड्यलों के विकास में किया जाता है।

11. शोध एकेडमिक संस्थाओं को सहायता

यह एक योजनागत स्कीम है जो 1995–96 के दौरान श्रम नीतियों को श्रम संबंधी अनुमोदित मामलों में अनुसंधान अध्ययनों को वित्तपोषित करने के लिए शुरू की गई थी। पात्र अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों के ब्यूरो प्रमुखों द्वारा जांच और सिफारिश किए गए प्रस्तावों के गुव–अवगुण के आधार पर अनुदान दिया जाता है। योजना को अक्तूबर, 2008 में पिछली बार संशोधित किया गया था जिसमें प्रत्येक अध्ययन की लागत को बढ़ाकर 6.00 लाख रूपये किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी परिवर्तित किया गया है जिससे अच्छे संस्थानों से अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा, स्कीम के कार्यक्षेत्र को अध्ययन के भाग के रूप में सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, मंत्रालय को श्रम संबंधी विभिन्न मामलों के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों को श्रम संबंधी मामलों में अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान प्रदान करता है। वर्ष 2012–13 के दौरान 25.00 लाख रूपये का बजटीय आबंटन किया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन तथा नियोजन सेवाओं तथा प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में 26 अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। वर्तमान में, 12 अनुसंधान अध्ययनों पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार कराए गए अनुसंधान अध्ययन आवश्यकता आधारित/मांग–प्रेरित होते हैं, मंत्रालय में प्रभागों के विभिन्न मामलों के संबंध में जैसी भी आवश्यकता सामने आती हैं उनकी सिफारिशों के आधार पर ये अध्ययन कराए जाते हैं।

12. बंधुआ श्रम के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यों में राज्य सरकारों की सहायता के लिए श्रम मंत्रालय ने मई, 1978 से 50:50 आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की। राज्य सरकारों को प्रति बंधुआ मजदूर 20,000/– रूपये की दर से पुनर्वास सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है, बशर्ते वे अपना अंशदान देने में असमर्थता व्यक्त करें।

यह योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो मुख्यतः बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ अनुदान दे रहा है और त्रैमासिक विवरणियां लेकर तथा बैठकें आयोजित कर और योजना/अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर राज्य सरकारों को पत्र लिखकर योजना का अनुवीक्षण कर रहा है।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बंधित श्रम पद्धति अधिनियम का अनुवीक्षण कर रहा है और देश भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन हेतु श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समूह का गठन किया गया है। समूह क्षेत्रवार बैठकें कर रहा है और अब तक ऐसी 20 बैठकें विभिन्न क्षेत्रों में की जा चुकी हैं।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में वयस्क बंधुआ मजदूर और बाल बंधुआ मजदूर के बीच तथा जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अतः पुरुष और महिला बंधुआ श्रमिकों के संबंध में अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। 85 प्रतिशत से अधिक बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, इन श्रेणियों के लिए अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया जाता है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, इन राज्यों हेतु कुल योजना बजट का 10 प्रतिशत इस योजना के लिए रखा जाता है।

चूंकि केन्द्रीय अनुदान राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही जारी किए जाते हैं, जैसे पहले जारी अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरों की पहचान होने पर, संबंधित राज्य सरकार उनकी मुक्ति और पुनर्वास का कार्य करती है। केन्द्र सरकार बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु 50:50 आधार पर अनुदान दे रही है। राज्य सरकारों को भी बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण, जागरूकता सृजन क्रियाकलापों और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

13. रोजगार एंव प्रशिक्षण महानिदेशालय

1. रोजगार सेवा

(क) <u>अ-ाुसूचित जातिअ-ाुसूचित ज-ाजाति ज्ल्याज योज-ााओं पर संजिप्त टिप्पजी</u>

"अध्याप-ा, मार्जदर्श-ा एवं व्यावसायिज प्रशिजज जे माध्यम से अ-ाुसूचित जातिअ-ाुसूचित ज-ाजाति जे रोजजार चाह-ो वालों जा ज्ल्याज" -ाामज प्ला-ा योज-ाा अ-ाुसूचित जातिअ-ाुसूचित ज-ाजाति अध्याप-ा-सह-मार्जदर्श-ा जे-द्रों (सी जी सी) जे माध्यम से जार्या-वित जी जा रही है। इस योज-ाा जे माध्यम से अ-ाुसूचित जातिअ-ाुसूचित ज-ाजाति जे रोजजार चाह-ो वालों जो आजीविजा मार्जदर्श-ा तथा प्रशिजज सुविधाएं प्रदा-ा जी जाती हैं।

डीओईएसीसी अब राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉ-िक्स एवं सूच-ाा प्रौद्योजिजी संस्दाा-ा) जे माध्यम से आउटसोर्सिज द्वारा एज वर्षीय ओङ स्तर जा जम्प्यूटर प्रशिजज प्रदा-ा जर-ो जे लिए मौजूदा अ-ाुसूचित जातिअ-ाुसूचित ज-ाजाति अध्याप-ा-सह-मार्जदर्श-ा जे-द्रों में -ाए पाठ्यक्रमों जा प्रारंभछ संबंधी एज -ाई योज-ाा 2009-10 जे दौरा-ा आरंभ जी जई और 2012-13 जे दौरा-ा जम्प्यूटर हार्डवेयर रजरजाव प्रशिजज प्रारम्भ जिया जया दाा।

(ख) विकलांगों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एस टी डब्ल्यू) तथा ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों (आर आर ई सी) सहित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों (वी आर सीज) को जारी रखना तथा स्थापित करना।

रोजजार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय -ो 19 राज्यों में अजरतला, अहमदाबाद, बंजलौर, भुव-ोश्वर, जोलजाता, चेन्नई, जुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जा-ापुर, लुधिया-ाा, मुंबई, दिल्ली, पट-ाा, पुडुचेरी, श्री-ाजर, तिरुव-ातपुरम्, ऊ-ाा (हि.प्र.) तथा वडोदरा में 20 व्यावसायिज पु-ार्वास जे-द्रों जी स्थापना जी है तथा इ-ामें से वडोदरा स्दिात व्यावसायिज पु-ार्वास जे-द्र पूर्ज रूप से महिलाओं जे लिए है।

<u>उद्देश्य</u>

विजलांजों जे शीघ्र आर्थिक पु-ार्वास हेतु व्यावसायिज पु-ार्वास जे-द्र उ-ाजी अवशिष्ट जमताओं जा मूल्यांज-ा जरते हैं और उ-हें समुचित प्रशिजज प्रदा-ा जरते हैं। उ-हें समुचित पु-ार्वास सेवाएं यदाा; रोजजार में -ियोज-ा, स्व-रोजजार हेतु प्रशिजज, इ-ा प्लांट प्रशिजज इत्यादि प्राप्त जर-ो में सहायता हेतु भी प्रयास जिए जाते हैं। ज्रामीज जेत्रों में रह-ो वाले विजलांज व्यक्तियों जो चल जैम्पों तथा 11 ज्रामीज पु-ार्वास विस्तार जे-द्रों जे माध्यम से भी पु-ार्वास सेवाएं उपलब्ध जरवाई जाती हैं। मूल्यांज-ा तथा अंतत: पु-ार्वास जे मध्य जाई पाट-ो जे लिए छह जौशल प्रशिजज जार्यशालाएं (एसटीडब्ल्यू) छह वी आर सीज में विभिन्न व्यवसायों में जौशल प्रशिजज प्रदा-ा जर-ो हेतु स्दाापित जी जई हैं।

<u>भविष्यावलोज-ा 2013-14</u>

2013-14 जे दौरा-ा, 12वीं पंचवर्षीय योज-ाा जे दौरा-ा स्दाापित जिए जा-ो जे लिए प्रस्तावित चार -ाए वीआरसी में से जम से जम एज -ाए वीआरसी जी स्थापना जर-ो जे मामले पर जार्रवाई जर-ो जा प्रस्ताव है। इ-ा जे-द्रों से संबंधित राज्यों जे विजलांज व्यक्तियों जो समाज जी आर्थिक मुज्य धारा से जोड़-ो जी अपेजा जी जाती है।

रोजजार जार्यालय मिश-ा मोड परियोज-ाा

रोजजार जार्यालयों जा उन्नय-ा और आधुनि-जीजरज (ईईएमएमपी)ङ जो भारत सरजार जी राष्ट्रीय ई-जव-ेंस योज-ाा जे तहत एज मिश-ा मोड परियोज-ाा जे रूप में आरंभ जिया जया है। समस्त रोजजार जार्यालयों जो जोड़-ो जे अतिरिक्त, एज **राष्ट्रीय वेब पोर्टल** विजसित जिया जाएजा जो आभासी रोजजार बाजार जी तरह जार्य जरेजा। ईईएमएमपी जा उद्देश्य देश में सभी राज्य सरजारोंसंघ राज्य जेत्रों जो विभिन्न रोजजार सेवा संबंधित जतिविधियों में सूच-ाा प्रौद्योजिजी जे प्रभावी उपयोज हेतु प्रजामी रुप से सहयोज जर-ाा है। राष्ट्रीय रोजजार सेवा पर जार्य समूह जी 34वीं बैठज 27-28 सितम्बर, 2007 जो भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें अ-य बातों जे साथ-साथ सिफारिश जी जई जि रोजजार जार्यालयों जे जम्प्यूटरीजरज पर सी एस एस पु-ा: आरम्भ जिया जा सजता है जिसजे तहत जे-द्र सरजार 75% -िधि उपलब्ध जरवा सजती है और 25% -िधि संबंधित राज्य सरजारों द्वारा आबंटित जी जा सजती है। पूर्वोतर राज्यों जे मामले में, उ-ाजे वित्तीय संसाध-ाों जी जमी जे मद्दे-ाजर 90% -िधियां जे-द्र सरजार और 10% संबंधित राज्य सरजार उपलब्ध जरवा सजती है।

सूच-ाा एवं प्रौद्योजिजी विभाज जे परामर्श से -ेश-ाल इंस्टीटयूट फॉर स्मार्ट जव-िमेंट (ए-ा आई एस जी) जोजि एज लाभ -िरपेज संजठ-ा है, जा रोजजार जार्यालयों पर एम.एम.पी हेतु मुज्य परामर्शदाता जे रूप में चय-ा जिया जया है।

परियोज-ाा जो 11वीं पंचवर्षीय योज-ाा में शामिल जिया जया और 4.43 जरोड़ रु. जी ध-ाराशि जा आबंट-ा जिया जया। 2012-13 जे वित्तीय वर्ष हेतु बजट अ-ाुमा-ा 20.00 जरोड़ रु. है तथा 2012-13 जे लिए प्रस्तावित संशोधित अ-ाुमा-ा 1 जरोड़ रु. है। चालू वित्तीय वर्ष जे दौरा-ा व्यय ईएफसीसीईए द्वारा परियोज-ाा जे अ-ाुमोद-ा पर -िर्भर जरेजा। वर्ष 2013-14 जे लिए प्रस्तावित बजट अ-ाुमा-ा 30.00 जरोड़ रु. है। सचिव (व्यय) जी अध्यजता में ईएफसी जी दो बैठजें जुलाई, 2010 और ज-ावरी, 2012 में आयोजित जी जईं। सचिव (व्यय) जी अध्यजता में पूर्व-ईएफसी जी बैठज 8.11.2012 जो आयोजित जी जई। बैठज में जुछेज प्रश्-ा उठे दो जि-ाजा श्रम और रोजजार मंत्री द्वारा -िराजरज जिया जा रहा है।

2. प्रशिक्षण

श्रम और रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय महिला प्रशिजज सहित व्यावसायिज प्रशिजज जे विजास और सम-वय जे लिए एज शीर्ष संगठ-ा है। रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय 9404 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों (आई टी आइज)-िजी औद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों जे -ेटवर्ज जे माध्यम से अर्दाव्यवस्दाा जे विभिन्न जेत्रों जी आवश्यजता पूर्ज जर-ो वाले प्रशिजज पाठ्यक्रमों जी शृंजला उपलब्ध जराता है। रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे -ियंत्रजाधी-ा 78 जे-द्रीय संस्दाा-ा हैं जो औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों जे अ-ाुदेशजों, औद्योगिज जामगारों, तज-ाीशिय-ाों, ज-िष्ठ और मध्यम स्तर जे जार्यपालजों, पर्यवेजजों, फोरमै-ाों, महिलाओं, शारीरिज रूप से विजलांग व्यक्तियों और अ.जा.अ.ज.जा. से संबद्ध सदस्यों जो प्रशिजज प्रदा-ा जरते हैं। ये संस्दाा-ा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और प्रशिजुओं और अ-ाुदेशजों जे उपयोग जे लिए अ-ाुदेशात्मज मीडिया पैजेजों जे अ-ाुसंधा-ा और विजास से संबंधित प्रशिजज भी प्रदा-ा जरते हैं।

योज-ाा जे उद्देश्य -िम्-ालिजित हैं :-

- अप-ो -ियंत्रजाधी-ा संस्दाा-ों में शिल्पज ार एवं शिल्प अ-ुदेशज प्रशिजज योज-ााओं तथा औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों (आईटीआइज)ूऔद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों (आईटीसीज) (संबंधित राज्य सरज ारों ू संघ राज्य जेत्रों द्वारा संचालित) में शिल्पज ारों जे प्रशिजज हेतु प्रशिजज सुविधाओं ज ा विविधीज रज, अद्यत-ीज रज अदावा विस्तार ज र-ाा।

- फोरमै-ा, पर्यवेजजों, अति ज ुशल ज ामगारों, प्रशिजज प्रबंधजों एवं प्रशासजों आदि हेतु विशेष रूप से स्दाापित प्रशिजज संस्दाा-ों में विशिष्ट प्रशिजज एवं अ-ुसंधा-ा आयोजित एवं संचालित ज र-ाा।

- शिजु अधि-ियम, 1961 जे तहत शिजुओं जे प्रशिजज जे सीमाजेत्र जो ज ार्या-िवत, वि-ियमित ज र-ाा एवं उ-ामें वृद्धि ज र-ाा।

शिल्पज ार प्रशिजज एवं शिजुता प्रशिजज योज-ााओं पर राष्ट्रीय -ीति ब-ाा-ो जे लिए जे-द्र सरज ार जो दो त्रिपजीय -िज ाय अर्दात् राष्ट्रीय व्यावसायिज प्रशिजज परिषद् (ए-ासीवीटी) तथा जे-द्रीय शिजुता परिषद् (सीएसी) परामर्श देते हैं।

रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय स्ज ूल छोड़-ो वालों जो प्रशिजज प्रदा-ा ज र-ो जे लिए -िम्-ालिजित दो प्रमुज योज-ााएं संचालित ज रता है जो देश जी राष्ट्रीय व्यावसायिज प्रशिजज प्रजाली जी रीढ़ हैं :-

शिल्पज ार प्रशिजज

- देश भर में 121 इंजी-ियरी एवं गैर-इंजी-ियरी व्यवसायों में एज समा-ा शिल्पज ार प्रशिजज प्रदा-ा जिया जाता है।

- औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ोंूऔद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों जे अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे अधी-ा पाँच उच्च प्रशिजज संस्दाा-ों (एटीआइज) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिजज संस्दाा-ों (एमटीआइज) तथा एज जे-द्रीय प्रशिजज संस्दाा-ा (सीटीआई) जे माध्यम से 22 व्यवसायों में शिल्पज ार प्रशिजज भी प्रदा-ा जिया जाता है जहां प्रशिजजों जो प्रशिजज प्रदा-ा जिया जाता है।

- उद्योगों जी जौशल संबंधी बदलती हुई आवश्यज ताओं जे अ-ुरूप प्रशिजज माड्यूल्स जो पु-ाः अ-ुज ूल ब-ाा-ो जे लिए रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे अधी-ा हल्द्वा-ी, ज ालीज ट, जोधपुर तथा चौद्वार स्दित 4 आदर्श औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों (एमआईटीआइज) में माड्यूलर पद्धति पर शिल्पज ार प्रशिजज प्रदा-ा जिया जाता है।

- सीट जमता लगभग 13.29 लाज है (सरज ारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों में 4.71 लाज और -िजी औद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों में 8.58 लाज)। पाठ्यज्रमों जी अवधि 6 मही-ो से 3 वर्ष है। प्रवेश हेतु -यू-ातम आयु 14 वर्ष है तथा जोई ऊपरी आयु सीमा -हीं है। (-यू-ातम 14 वर्ष)।

शिजुता प्रशिजज

शिजु अधि-ियम, 1961 जे अंतर्गत शिजुता प्रशिजज योज-ाा

शिजु अधि-ियम, 1961 जो प्रशिजज जे प्रयोज-ार्दा उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं ज ा उपयोग ज र-ो तथा

उद्योगों में ुशल ामगारों ी आवश्यताओं ी पूर्ति े लिए ार्यस्दाल पर जा-ारी उपलब्ध रवा-ो े उद्देश्य से लागू िया गया।

आर डी ए टीज ी चल रही गतिविधियां

- शिजुओं हेतु प्रशिजज सीटों ा पता लगा-ो े लिए प्रतिष्ठा-ों ा सर्वेजज एवं पु-र्सर्वेजज।
- प्रशिजज हेतु सुविधाओं ी जांच र-ो तथा -िर्धारित अ-ुसूची े अ-ुसार प्रशिजज ी प्रगति देज-ो े लिए प्रतिष्ठा-ों ा -िरीजज।
- शिजुओं ी प्रगामी व्यवसाय परीजाओं ा आयोज-ा।
- शिजुओं अंतिम व्यवसाय परीजा े आयोज-ा हेतु व्यवस्दाा र-ाा।
- शिजुता अ-ुबंधों ा पंजीरज।
- सफल शिजुओं ो राष्ट्रीय शिजुता प्रमाज-पत्र जारी र-ाा।
- अधि-ियम े अंतर्गत -िर्धारित विवरजी तथा अभिलेजों ा अ-ुरजज एवं प्रस्तुतिरज।
- आई टी आईज ा संयुक्त मूल्यां-ा आयोजित र-ाा।
- एस डी आई योज-ाा े अधी-ा वीटीपीज ा पंजीरज, -िरीजज इत्यादि जैसी विभिन्न गतिविधियां र-ाा।

स्थिति	वित्तीय वर्ष 2011-12		वित्तीय वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)	
	अवस्थित सीटें	उपयोग की गई सीटें	अवस्थित सीटें	उपयोग की गई सीटें
चेन्नई	8692	6962	9222	6182
फरीदाबाद	2839	2230	3813	2275
हैदराबाद	8771	8615	9187	7895
कानपुर	9931	5826	12078	5676
कोलकाता	8872	7619	9926	7530
मुंबई	4670	3620	4942	4043

चेन्नई, फरीदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई स्थित क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों की वस्तुपरक उपलब्धियां

अपने क्षेत्राधिकार में स्थित केन्द्र सरकार के विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी

शिजुओं ज़ा प्रशिजज

- अधि-ियम जे अंतर्गत 252 -ाामोद्दिष्ट व्यवसायों में व्यवसाय प्रशिजुओं हेतु पहचा-ाी गई 3,38,275 सीटों जे मुजाबले 2,11,496 प्रशिजज सीटों जा उपयोग जिया गया। 27,000 प्रतिष्ठा-ा शिजुओं जो -ियुक्त जर रहे हैं।
- स्-ाातज, तज-ाीशिय-ा तथा तज-ाीशिय-ा (व्यावसायिज) प्रशिजुओं हेतु पहचा-ाी गई 1,20,839 सीटों जे मुजाबले इ-ा श्रेजियों जे लिए 56,790 प्रशिजज सीटों जा उपयोग जिया गया है। स्-ाातज और तज-ाीशिय-ा शिजुओं जी श्रेजी जे लिए 126 विषय जेत्र -ाामोद्दिष्ट जिए गए हैं। तज-ाीशिय-ा (व्यावसायिज) शिजुओं जी श्रेजी हेतु 128 विषय जेत्र -ाामोद्दिष्ट जिए गए हैं।

शिल्प अ-ुदेशज प्रशिजज

- रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे अधी-ा छः उच्च प्रशिजज संस्दाा-ाों, एज जे-द्रीय प्रशिजज संस्दाा-ा एवं ए-ावीटीआई तदाा आरवीटीआइज में 29 इंजी-ियरिंग एवं गैर-इंजी-ियरिंग व्यवसायों में शिल्प अ-ुदेशजों जो प्रशिजज प्रदा-ा जिया जाता है, जि-ाजी वार्षिज सीट जमता 2140 प्रशिजु है। अ-ुदेशज जा प्रशिजज आयोजित जर-ो जे लिए आदर्श औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा जी सुविधा जा भी उपयोग जर-ो जा प्रस्ताव है।

उच्च व्यावसायिज प्रशिजज

- जार्य जर रहे औद्योगिज जामगारों जे जौशलों जा उन्नय-ा जर-ो एवं अद्यत-ा जर-ो जे लिए उ-हें अल्पजालिज पाठ्यज्रमों जे माध्यम से उच्च व्यावसायिज प्रशिजज प्रदा-ा जिया जाता है।
- योज-ाा जे अंतर्गत, रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे अधी-ा, च्ह उPp प्रशिजज संस्दाा-ाों (एटीआइज) में अल्पावधि माड्यूलर पाठ्यज्रमों जे माध्यम से चु-िंदा जौशल जेत्रों में प्रशिजज प्रदा-ा जिया जा रहा है। पाठ्यज्रमों जी अवधि एज सप्ताह से लेजर 12 सप्ताह है। -ियमित पाठ्यज्रमों जे अलावा जुछ संस्दाा-ा सप्ताहांत पाठ्यज्रम भी आयोजित जर रहे हैं।

इलेक्ट्रा-िक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेश-ा में उच्च व्यावसायिज प्रशिजज

हैदराबाद एवं देहरादू-ा में स्दाापित दो उच्च प्रशिजज संस्दाा-ा, इलेक्ट्रा-िक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेश-ा जे जेत्र में उPp व्यावसायिज प्रशिजज पाठ्यज्रम आयोजित जरते हैं।

फोरमै-ा प्रशिजज पर्यवेजी प्रशिजज

विद्यमा-ा एवं सम्भावित शॉप-फ्लोर फोरमै-ाों तथा पर्यवेजजों जो तज-ाीजी एवं प्रबंधजीय जौशलों में प्रशिजित जर-ो जे लिए रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय जे अधी-ा दो फोरमै-ा प्रशिजज संस्दाा-ाों में अल्पावधिूटेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठ्यज्रमों जा आयोज-ा जिया जाता है।

अ-ुदेशात्मज मीडिया जा विजास

शिल्पजार एवं शिजुता प्रशिजज-दो-ाों योज-ााओं जे तहत विभिन्न व्यवसायों जे अ-ुदेशजों और प्रशिजजों जे उपयोग जे लिए अ-ुदेशात्मज मीडिया पैजेजों (आईएमपी) जो विजसित जर-ो एवं उ-ाजा प्रसार जर-ो जे लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अ-ुदेशात्मज मीडिया संस्दाा-ा (-िमी) जी स्थापना जी गई।

-िमी उत्ज़्ष्ट जे-द्र और एम ई एस पाठ्यज्रमों जे लिए भी अ-ुदेशात्मज सामग्री तैयार जर रहा है।

वे विभिन्न पाठ्यज्रमों जे लिए प्रश्-ा बैंज जा विजास जरते हैं।

हि-दी और अ-य जेत्रीय भाषाओं में अ-ुदेशात्मज सामग्री जा अ-ुवाद जिया जाता है।

-िमी जो 01.04.1999 से स्वायत्तता प्रदा-ा जी गई है; यह एज स्वायत्त संस्दाा जे रूप में जार्य जर रहा है।

व्यावसायिज प्रशिजज जे जेत्र में जर्मचारी प्रशिजज, अ-ुसंधा-ा और विजास

जे-द्रीय जर्मचारी प्रशिजज एवं अ-ुसंधा-ा संस्दाा-ा, जोलजाता जी स्थापना रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय (डीजीईएंडटी), श्रम और रोजगार मंत्रालय जे तहत भारत सरजार द्वारा जर्म-ा संघीय गजराज्य सरजार जी तज-ीजी सहायता से 1966 में जी गई दाी।

यह संस्दाा-ा व्यावसायिज प्रशिजज जार्यक्रम जी आयोज-ाा, जार्या-वय-ा, -ियंत्रज एवं मूल्यांज-ा में लगे प्रशिजजों तथा ज-िष्ठ्वरिष्ठ प्रबंध जार्मिजों हेतु प्रशिजज जार्यक्रम आयोजित जर रहा है।

महिला व्यावसायिज प्रशिजज जार्यक्रम:

1977 में आरंभ जिए गए महिला व्यावसायिज प्रशिजज जार्यक्रम जा उद्देश्य व्यावसायिज प्रशिजज योज-ाा जे माध्यम से महिलाओं जा सामाजिज विजास और आर्थिक वृद्धि जर-ाा है।

जे-द्रीय जेत्र जे अधी-ा महिलाओं जे लिए एज राष्ट्रीय व्यावसायिज प्रशिजज संस्दाा-ा (ए-ावीटीआई), -ोएडा तथा दस जेत्रीय व्यावसायिज प्रशिजज संस्दाा-ों (आरवीटीआइज) जी स्थापना मुंबई, बंगलौर, तिरूव-ा-तपुरम, पा-ीपत, जोलजाता, तुरा, इंदौर, वडोदरा एवं जयपुर एवं इलाहाबाद में जी गई है।

ये संस्दाा-ा शिल्पजार प्रशिजज योज-ाा तथा शिल्प अ-ुदेशज प्रशिजज योज-ाा जे तहत ए-ासीवीटी द्वारा अ-ुमोदित जौशल प्रशिजज जार्यक्रम चलाते हैं।

मुज्य योज-ााएं

2.1 सार्वजनिज -िजी भागीदारी माध्यम से 1396 सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जा उन्नय-ा।

जे-द्रीय वित्त मंत्री -े अप-े वर्ष 2007-08 जे बजटीय अभिभाषज में सार्वजनिज-िजी भागीदारी माध्यम से 1396 सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जे उत्जृष्ट जे-द्रों जे रूप में उन्नय-ा हेतु एज योज-ाा जी घोषजा जी। योज-ाा जे अंतर्गत उन्नय-ा जी प्रक्रिया जा -ेतृत्व जर-े जे लिए प्रत्येज सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा जे साथ एज उद्योग भागीदार जो सहयोजित जिया जाता है।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीइए) जे अ-ुमोद-ा से xivीं पंचवर्षीय योज-ाा जे दौरा-ा देश में 1396 सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जा 3550 जरोड़ रुपए जे जुल परिव्यय जे साथ उन्नय-ा आरंभ जिया गया। xiवीं पंचवर्षीय योज-ाा अवधि जे दौरा-ा जुल 1227 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जो 2.50 जरोड़ रु. प्रत्येज औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा जे उन्नय-ा हेतु जुल 3067.50 जरोड़ रु. जी ऋज राशि उपलब्ध जराई गई है।

xii योज-ाावधि हेतु व्यय वित्त समिति -े जेंद्र एवं राज्य स्तर पर प्रबंध-ा जमता -िर्माज, प्रबोध-ा एवं मूल्यांज-ा जे प्रयोज-ाार्दा जुल 50 जरोड़ रु. जे परिव्यय जे साथ योज-ाा जो जारी रज-े जा अ-ुमोद-ा प्रदा-ा जर दिया है।

2.2 100 सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जे प्रशिजज ढाँचे जा उन्नय-ा 'उत्जृष्ट जे-द्रों (सीओई)' जे रूप में 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जा उन्नय-ा

ईएफसी द्वारा फरवरी, 2005 तथा सीसीईए द्वारा मार्च, 2005 में घरेलू संसाध-ों जे साथ 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जे उन्नय-ा जी योज-ाा जो सहमति प्रदा-ा जर दी गई दाी। 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जो उन्नय-ा हेतु चु-ाा गया दाा और घरेलू संसाध-ों से वित्तपोषित जिया गया। इ-ा 100

औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जो 22 राज्यों संघ राज्य जेत्रों (जम्मू व ज्श्मीर, सिक्िम तथा पूर्वोत्तर राज्यों जे अतिरिक्त) में इ-ा राज्यों में सरजारी औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जी संज्या जे अ-ुपात में लिया गया। योज-ाा जी जुल लागत 160 जरोड़ रु. दी जिसमें वित्त मंत्रालय जे परामर्श जे अ-ुसार जे-द्र और राज्य सरजारों जे मध्य 75:25 जे अ-ुपात जे आधार पर जे-द्रीय अंशदा-ा 120 जरोड़ रु. दाा। मार्च, 2010 तज लगभग 115 जरोड़ रु. जी जुल राशि जारी जी गई दी। योज-ाा 31.03.2010जजो बंद जर दी गई है। वर्तमा-ा में, इ-ा औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों में बहु जौशलीजरज पर प्रशिजज पाठ्यक्रम आयोजित जिए जा रहे हैं।

2.3 जे-द्र तथा राज्य सरजारों द्वारा प्रदा-ा जी जा-े वाली व्यावसायिज प्रशिजज सेवाओं में सुधार और बेहतरी जे लिए बाह्य सहाय्यित परियोज-ाा (व्यावसायिज प्रशिजज सुधार परियोज-ाा वीटीआईपी)

परियोज-ाा विजास जा उद्देश्य प्रशिजज जी रूपरेजा और प्रशिजज प्रदा-ा जर-े जो और अधिज मांग सापेज ब-ाा-े जे द्वारा व्यावसायिज प्रशिजज प्रजाली से आए स्-ाातजों जे रोजगार परिजामों में सुधार जर-ाा है। योज-ाा जी मुज्य विशेषताओं में विश्व मा-ाजों वाली बहुजौशलयुक्त ज-ाशक्ति पैदा जर-े जे लिए औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा जे आसपास एज विशिष्ट उद्योग समूह जी आवश्यजताओं जी पूर्ति जे लिए बहु जौशलीय पाठ्यक्रमों (सीओई जे रूप में प्रसिद्ध) जो आरंभ जर-ाा शामिल है। विश्व बैंज जे साथ 2.11.2007 जो (17 दिसम्बर, 2007 से लागू) जरार पर हस्ताजर जिए गए।

योज-ाा में, अ-य बातों जे साथ-साथ, 400 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जे उन्नय-ा जी परिजल्प-ाा जी गई है। परियोज-ाा जे अंतर्गत 33 राज्य सरजारें संघ राज्य जेत्र भागीदारी जर रहे हैं। योज-ाा जे उद्देश्य में औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जे अ-ुदेशजों तथा प्रशिजजों जे जौशलों में वृद्धि जर-ाा शामिल है। योज-ाा -ावम्बर, 2007 में आरम्भ जी गई और यह मूल रूप से दिसम्बर, 2012 में समाप्त हो-े जे लिए -ियोजित है। भारत सरजार एवं विश्व बैंज द्वारा दिसम्बर, 2012 से आगे अर्दात् -ावम्बर, 2014 तज 23 अ-य माह जे लिए बि-ाा जिसी अतिरिक्त लागत पर परियोज-ाा हेतु एज जरार पर हस्ताजर जिए गए हैं।

- जुल परिव्यय ....1581 जरोड़ रु.
    - विश्व बैंज______________________ 1231 जरोड़ रु.
    - राज्य__________________________ 350 जरोड़ रु.

  भागीदारी अ-ुपात 75:25 (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10)
- दिसम्बर, 2012 तज डीजीईएंडटी संस्दाा-ों तथा राज्यों जो जारी जी गई जुल -िधियां- 1285.81 जरोड़ रु. (समतुल्य राज्य भागीदारी सहित)

2.4 जौशल विजास पहल

योज-ाा जे लज्य एवं उद्देश्य, स्जूल चेड़ दे-े वालों युवाओं, जामगारों, आई टी आई स्-ाातजों इत्यादि जो औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ोंऔद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों तथा अ-य संगठ-ों में उपलब्ध अवसंरच-ाा जा इष्टतम उपयोग जरते हुए अप-ाी रोजगारपरजता में सुधार जर-े हेतु प्रशिजज प्रदा-ा जर-ाा है। योज-ाा उ-ा लोगों जी आवश्यजताओं जी पूर्ति जरती है जो जौशल प्राप्त जर-ाा चाहते हों अदावा अप-े जौशलों जा उन्नय-ा जरते हुए अप-ाी रोजगारपरजता में सुधार जर-ाा चाहते हों। इस योज-ाा जे अंतर्गत व्यक्तियों जे वर्तमा-ा जौशलों जा परीजज एवं प्रमाजीजरज भी जिया जा सजता है। असंगठित अर्दाव्यवस्दाा जी आवश्यजताओं जी पूर्ति हेतु पाठ्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है।

योज-ाा में स्जूल छोड़ने वालों तथा वर्तमा-ा जामगारों, विशेष रूप से अ-ौपचाारिज जेत्र में, उद्योग,

अ-ौपचारिज जेत्र में अतिलघु उद्यमों, राज्य सरजारों, विशेषज्ञों, शिजाविदों जे साथ गह-ा परामर्श से जौशल विजास हेतु एज -ए जार्य-ीतिज ढांचो जे विजास जी परिज्ल्प-ाा जी गई है। यह उ-ाजी शैजिज, सामाजिज तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार जरते हुए आवश्यज दाा। योज-ाा जा लज्य 5 वर्षों में एज मिलिय-ा व्यक्तियों जो और इसजे पश्चात औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों औद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों तथा अ-य संगठ-ाों में उपलब्ध अवसंरच-ाा जा इष्टतम उपयोग जरते हुए प्रति वर्ष 1 मिलिय-ा व्यक्तियों जो प्रशिजज प्रदा-ा जर-ाा है। योज-ाा जे प्रति उत्साहवर्धज प्रतिक्रिया रही और अब तज 2007-12 जे दौरा-ा 13.67 लाज व्यक्तियों जो प्रशिजित परीजित जिया जा चुजा है।

2.5 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्जिम तथा जम्मू व जश्मीर में -ए औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों जी स्थापना।

योज-ाा जा जार्यजाल 2001 से 31 मार्च, 2010 तज दाा, अतएव यह 31 मार्च, 2010 जो समाप्त हो गई।

2.6 फोरमै-ा प्रशिजज संस्दाा-ाबंगलौर तथा जमशेदपुर में फोरमै-ा प्रशिजज संस्दाा-ाों जी स्थापना जर-ाा

पर्यवेजजीय प्रशिजज में पर्यवेजजीय जौशलों जे प्रौद्योगिजीय और व्यवहार संबंधी उन्नय-ा जी परिज्ल्प-ाा जी गई है। बदलते हुए औद्योगिज परिदृश्य जा साम-ाा जर-ो जे लिए, रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय -ो वर्ष 1970 और 1983 में क्रमश: बंगलौर और जमशोदपुर में दो फोरमै-ा प्रशिजज संस्दाा-ाों जी स्थापना जी। योज-ााओं जे उद्देश्य हैं: (i) अल्पजालिज तथा दीर्घजालिज पाठ्यक्रमों जे माध्यम से तज-ीजी तथा प्रबंधजीय जौशलों में उद्योगों से विद्यमा-ा तथा संभावित शॉप फ्लोर पर्यवेजजों, फोरमै-ाों तथा इंजी-ियरों जो प्रशिजित जर-ाा (ii) औपचारिज शिजा तथा पर्यवेजीय स्तर पर जार्मिजों हेतु उद्योग जी मांग जे बीच जे अंतराल जो पाट-ाा (iii) उपलब्ध संसाध-ाों जा और अधिज जुशलता से इष्टतम उपयोग तथा उच्च उत्पादजता प्राप्त जर-ो जे लिए पर्यवेजजों जे जौशलों, तज-ीजी योग्यता तथा म-ोबल में सुधार जे अतिरिक्त, प्रौद्योगिजीय परिवर्त-ाों जो पूरा जर-ो जे लिए उद्योग में जार्यरत पर्यवेजजों जो प्रशिजित जर-ाा तथा उ-ाजा विजास जर-ाा।

2.7. रो.एवं प्रशि.महा. जे तहत प्रशिजज संस्दाा-ाों जा उन्नय-ा

योज-ाा विभिन्न योज-ााओं जा विलय जरते हुए तैयार जी गई है। अंतिम विलय 2008-09 में जिया गया दाा। समा-ा जार्य परिधिउद्देश्यों वाली योज-ााओं जी संज्या जम जर-ो जे लिए योज-ाा आयोग -ो -िम्-ालिजित पांच योज-ााओं जा विलय जर जिया।

(ज) उच्चजे-द्रीय प्रशिजज संस्दाा-ाों जा विविधीजरज, उन्नय-ा एवं विस्तार तथा उच्च प्रौद्योगिजी प्रशिजज जा आरंभ।

(ज) सी-स्टारी सहित डीजीईएंडटी संस्दाा-ाों में प्रशिजज अवसंरच-ाा जा उन्नय-ा।

(ग) शिजुता प्रशिजज जा उन्नय-ा।

(घ) प्रशिजज जौशलों तथा एमआईएस जा सुदृढ़ीजरज।

(ङ) महिलाओं जो प्रशिजज जा विविधीजरज, उन्नय-ा तथा विस्तार

-ीति जे जार्यस्वरूप जे अ-दर, औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों औद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों जे अ-ुदेशजों, विशिष्ट तथा उच्च जौशल जेत्रों में सेवारत औद्योगिज जामगारों, राज्यूसंघ राज्य जेत्रों जे अ-ुरजज जार्मिजों जी प्रशिजज आवश्यजताओं जो पूरा जर-ो जे लिए प्रशिजज जे उच्च स्तर पर जौशल विजास जा विविधीजरज तथा विस्तार व्यावसायिज प्रशिजज जा एज संघटज है।

उच्च तथा विशिष्ट स्तरों पर संबंधित प्रौद्योगिजियों में स्दाा-ीय तथा जेत्रीय बाजार जो सेवा प्रदा-ा जर-ो हेतु 10 जे-द्रीय संस्दाा-ों (शीर्षस्दा) उ.प्र.संस्दाा-ों ए-ावीटीआई आरवीटीआईज में हाई-टेज प्रजोष्ठों जी स्थापना जरजे जार्यजरज और अ-ुरजज-दो-ों में हाई-टेज जेत्र हेतु जामगारों जी -ाई पीढ़ी जा विजास जर-ा। सेवारत औद्योगिज जामगारों हेतु अल्पावधि जे उच्च प्रशिजज जार्यज्रमों जा आयोज-ा तथा विद्यमा-ा जार्यबल जो विश्वस्तर जे अ-ुरूप सजम ब-ा-ो जे लिए उ-ाजे जौशलों जे उन्नय-ा हेतु उच्च प्रौद्योगिजी विशिष्ट प्रशिजज पाठ्यज्रमों जा आयोज-ा।

योज-ा जी संज्ल्प-ा उच्च जौशल युक्त जार्मिजों जी बढ़ती हुई मांग जी पूर्ति जर-ा है, चल रही प्रशिजज गतिविधियों जो सुदृढ़ जिया जाएगा और जारी रजा जाएगा।

2.8 भव-ा उपजरज तथा जेत्रीय व्यावसायिज प्रशिजज संस्दाा-ों जी स्थापना

योज-ा में -िम्-ालिजित जी परिज्ल्प-ा जी गई हैः

- महिलाओं जो प्रशिजज सुविधाएं प्रदा-ा जर-ो जे लिए 7 आरवीटीआईज जी स्थापना। इस योज-ा जे तहत अब च्-ह आरवीटीआईज जे पास अप-ो भव-ा हैं। वडोदरा स्दित संस्दाा-ा भी -ावंबर, 2010 में अप-ो -ए परिसर में स्दाा-ांतरित जर जिया गया है जबजि इंदौर स्दित सातवां संस्दाा-ा इस समय अस्दाायी भव-ा से जार्य जर रहा है, इसजा अप-ा भव-ा जे.लो.-ि.वि. द्वारा -िर्माजाधी-ा है।
- प्रशिजज जमता -ियमित रुप में बढ़ाई जा रही है तथा जुछ अल्पजालिज पाठ्यज्रमों जे संचाल-ा जे अतिरिक्त, -ियमित पाठ्यज्रमों में प्रशिजज जमता जो जि वर्ष 2002 में 716 दाी, उसजा लज्य बढ़जर वर्ष 2012-13 में 8001 हो गया है।
- इंदौर में आरवीटीआई हेतु संस्दाा-ा भव-ा, जर्मचारी आवास व प्रशिजुओं जे चत्रावास जा -िर्माज।
- आरवीटीआईज में पाठ्यज्रमों जे संचाल-ा हेतु आवर्ती व्यय जो पूर्ज जर-ा।

2.9 आदर्श औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा (एम आई टी आई)।

योज-ा जे लज्य एवं उद्देश्य हैं :- (i) जुशल जामगारों जे सहज प्रवाह जो सु-िश्चित जर-ा। (ii) संभावित जामगारों जे योज-ाबद्ध प्रशिजज द्वारा औद्योगिज उत्पाद-ा जी गुजवत्ता तथा प्रमात्रा में वृद्धि जर-ा। (iii) शिजित युवाओं जो उपयुक्त रोजगार हेतु उपयुक्त जौशलों से लैस जरजे उ-ामें बेरोजगारी जम जर-ा।

उद्योग में आए प्रौद्योगिजीय विजास जे मद्दे-ाजर, जि-ा संस्दाा-ों में -ियमित आधार पर व्यापज आधारित बु-ियादी तथा विशिष्ट माड्यूल्स प्रशिजज पाठ्यज्रम - दो-ों चलाए जा रहे हैं, वहां शिल्पजार प्रशिजज जे पु-र्गठित ढांचो जा प्रयोग जर-ो जे लिए प्रशिजज संबंधी विशेषज्ञ समिति (जादिर जमेटी) जी सिफारिशों जे आधार पर वर्ष 1981-82 में जालीजट, चौद्वार, हल्द्वा-ी तथा जोधपुर में चार आदर्श औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों जी स्थापना जर-ो जी योज-ा आरंभ जी गई दाी।

2.10 राष्ट्रीय अ-ुदेशात्मज मीडिया संस्दाा-ा, चेन्नई (तत्जाली-ा जे-द्रीय अ-ुदेशात्मज मीडिया संस्दाा-ा, मद्रास)

-िमी जी स्थापना जे-द्रीय अ-ुदेशात्मज मीडिया संस्दाा-ा (सिमी) जे -ााम से भारत सरजार द्वारा रोजगार एवं प्रशिजज महा-िदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय जे तहत एज अधी-ास्दा जार्यालय जे रूप में जी टी जेड (तज-ीजी सहयोग हेतु जर्म-ा अभिजरज), जार्यजारी अभिजरज जे रुप में जर्म-ी सरजार जी सहायता से दिसम्बर 1986 में जी गई दाी। इसजा मुज्य उद्देश्य (i) औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ों औद्योगिज प्रशिजज जे-द्रों तथा (ii) शिजु अधि-ियम, 1961 जे तहत शिजुता प्रशिजज जार्यज्रम जो जार्या-वित जर-ो वाले औद्योगिज प्रतिष्ठा-ों में दिए जा रहे प्रशिजज जे स्तर में समग्र सुधार जर-ो जे उद्देश्य से प्रशिजुओं तथा

प्रशिजजों जे प्रयोज-ताार्दा अच्छी तरह से तैयार जी गई अ-ाुदेशात्मज सामग्री उपलब्ध जरा-ाा है।

मा-ा-ाीय श्रम मंत्री जी अध्यजता में 29.06.2003 जो आयोजित शासी परिषद जी पाँचवीं बैठज में इसजी सिफारिशों जे अ-ाुसार संस्दाा-ा जे राष्ट्रीय चरित्र जो व्यक्त जर-ो जे लिए इसजा -ााम बदलजर राष्ट्रीय अ-ाुदेश-ा मीडिया संस्दाा-ा जर दिया गया।

2.11 रोजगार एवं प्रशिजज महा-ािदेशालय (मुज्यालय) में परियोज-ाा जार्या-वय-ा तथा व्यवसाय परीजज

योज-ाा जी संजल्प-ाा जे-द्र प्रवर्तित पूर्वोत्तर राज्यों, 100 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों जा उत्जृष्ट जेंद्रों जे रूप में उन्नय-ा तथा अ-ाय जे-द्रीय जेत्रज योज-ााओं से संबंधित गतिविधियों जे जार्या-वय-ा, प्रबोध-ा तथा मूल्यांज-ा जो सुजर ब-ाा-ाा है। जैसा जि वित्त मंत्री -ो अप-ो 2004-05 जे बजटीय अभिभाषज में घोषजा जी दाी, इस-ो विश्व बैंज जी सहायता जे माध्यम से 400 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों जे उन्नय-ा हेतु -ाई प्रस्तावित योज-ाा जो भी आरंभ जिया है। इसलिए, जे-द्रीय परियोज-ाा जार्या-वय-ा एजज (सीपीआईयू) बजटीयूपरियोज-ाा वित्त -ाियंत्रज, उपजरजों जी अधिप्राप्ति, भव-ाों जी रूपरेजाा-ािर्माज, जर्मचारी प्रशिजज सम-वय, जार्या-वय-ा -ाष्पाद-ा जा मूल्यांज-ा तथा सामा-ाय प्रशासनिज सहायता प्रदा-ा जर-ो संबंधी गतिविधियों पर राज्यूसंघ राज्य सरजार से समग्र सम-वय-ा प्रदा-ा जर-ाा जारी रजेगा। व्यवसाय परीजज तथा प्रमाजीजरज (अ-ाुवाद, मुद्रज एवं पैंजिग) जी आउटसोर्सिंग (जेत्रीय भाषाओं में प्रश्-ा पत्रों जा अ-ाुवाद) से संबंधित प्रस्ताव जो आरंभ जिया गया है।

2.12 जौशल विजास योज-ाा (सार्वजनिज -ाजी भागीदारी माध्यम (पीपीपी) जे अंतर्गत 1500 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-ाों तथा 5000 जौशल विजास जे-द्रों जी स्थाप-ाा)

योज-ाा आयोग -ो पीपीपी माध्यम जे अंतर्गत 1500 औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ाों तथा 5000 जौशल विजास जेंद्रों (एसडीसीज) स्थापित जर-ो हेतु अप-ाा सैद्धा-ातिज अ-ाुमोद-ा प्रदा-ा जर दिया है। योज-ाा आयोग में मूल्यांज-ा प्रक्रियाधी-ा है।

2.13 वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में जौशल विजास

योज-ाा जे व्यापज रूप से दो उद्देश्य हैं:

i. प्रत्येज जिले में लोगों जे -ाजट जम से जम एज औद्योगिज प्रशिजज संस्दाा-ा और दो जौशल विजास जे-द्रों (एसडीसी) में जौशल विजास अवसंरच-ाा सृजित जर-ाा।

ii. विभिन्न जौशल प्रशिजज जार्यक्रमों में 5340 युवाओं जो प्रशिजित जर-ाा।

पूर्व जार्यजलाप:

- जार्या-वय-ा -ाियम पुस्तिजा तैयार जर-ाा।
- योज-ाा जे अंतर्गत शामिल राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त जर-ाा।
- -ािधियों जा पु-ा: वि-ाियोज-ा।
- -ाौ राज्यों जो 86.81 जरोड़ रु. जारी जर-ाा।
- योज-ाा जी अवधि जा 31 मार्च, 2014 तज विस्तार।

चल रहे जार्यजलाप:

- राज्यों से उपयोगिता प्रमाज-पत्र एवं वास्तविज प्रगति रिपोर्ट प्राप्त जर-ाा।
- अगली जिस्त जारी जर-ाा।

 प्रशिजुओं जो प्रत्यज लाभ हस्तांतरज जे साथ योज-ाा जा समामेल-ा।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) -ो जेवल वर्तमा-ा वित्तीय वर्ष यथा 2011-12 जे लिए योज-ाा जी अवधि जो अ-ुमोद-ा प्रदा-ा जिया दाा और इसे 12वीं पंचवर्षीय योज-ाा में विस्तारित जर-ो जा प्रावधा-ा रजा।

योज-ाा जो 31 मार्च, 2014 तज जारी रज-ो जे लिए सजम प्राधिजारी से अ-ुमोद-ा प्राप्त जर लिया गया है।

2.14 पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्जिम में जौशल विजास अवसंरच-ाा में वृद्धि जर-ाा।

यद्यपि पूर्वोत्तर राज्यों जो विभिन्न योज-ााओं द्वारा समर्दा-ा दिया जाता है, फिर भी चारदीवारी जा -िर्माज, चत्रावास, संपर्ज मार्ग, विद्युत ज-ोक्श-ा तथा जल ज-ोक्श-ा जैसे बहुत-से पहलुओं में औद्योगिज प्रशिजज संस्था-ा अप-ो आप में पूर्ज -हीं हैं। बहुत-से ऐसे व्यवसाय है जि-ाजी मांग है लेजि-ा जार्यशाला और मशी-ारी उपजरज जी आवश्यजता जे चलते स्दाापित -हीं जिए जा सजे। इ-ा अवसंरच-ााओं जे अतिरिक्त, आवर्ती व्यय यथा प्रशिजज सामग्री जी अधिप्राप्ति, अ-ुदेशात्मज, सचिवालय स्टाफ जा वेत-ा तथा प्रशिजजार्थियों जो वृत्तिजा इत्यादि प्रदा-ा जर-ो जी भी आवश्यजता दाी। योज-ाा 100% जे-द्र द्वारा वित्तपोषित है क्योंजि हो सजता है जि राज्य सरजारों जे पास आवश्यज संसाध-ा -ा हों।

योज-ाा जे व्यापज उद्देश्य है-

1. प्रत्येज संस्था-ा में 3 व्यवसायों जो जोड़-ो जे द्वारा 20 विद्यमा-ा औद्योगिज प्रशिजज संस्था-ों जा उन्नय-ा
2. 28 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-ों में अवसंरच-ाा जी जमी जो पूरा जर-ाा
3. जमता -िर्माज तथा तज-ीजी सहायता जा उद्देश्य जौशल विजास, रोजगारपरजता तथा जमताओं में वृद्धि और युवाओं जे मध्य स्वरोजगार तथा उद्यमीयता जा संवर्ध-ा जर-ो जे लिए -िधियां उपलब्ध जरा-ाा है।
4. अर्धजुशल जामगारों जी पर्याप्त आपूर्ति और गत्यात्मज व्यावसायिज प्रशिजज -ीति एवं अवसंरच-ाा जे माध्यम से मूल्य सृज-ा ब-ााए रज-ाा।
5. प्रौद्योगिजी जे -ाए जेत्र में विद्यमा-ा जार्यबल जा जौशल उन्नय-ा।

पूर्व जार्यजलाप:

 जार्या-वय-ा -ियम पुस्तिजा तैयार जर-ाा।

 वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में 7 राज्यों में 37 औद्योगिज प्रशिजज संस्था-ों जो शामिल जरजे 26.05 जरोड़ रु. जी राशि जी -िधि जारी जर-ाा।

चल रहे जार्यजलाप:

 7 राज्यों, जहां -िधियां जारी जी गई हैं, में योज-ाा जा प्रबोध-ा।

 मजिपुर जे प्रस्तावों जी जाँच तथा पहली जिस्त जारी जर-ाा।

 पूर्वोत्तर राज्यों में -ाए आईटीआइज जी स्थाप-ाा हेतु अतिरिक्त संघटजों जे साथ योज-ाा जो 31 मार्च, 2018 तज जारी रज-ाा।

ख) विवाचन बोर्ड (जे.सी.एम.)

भारत सरकार ने, सामान्य महत्व के मामलों में सरकार, एक नियोजक के रूप में, और इसके कर्मचारियों के साधारण निकाय के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु संयुक्त परामर्शी तंत्र और अनिवार्य विवाचन के लिए 1966 में एक स्कीम आरम्भ की थी।

इस योजना के अंतर्गत वेतन तथा गत्तों, साप्ताहिक कार्य घंटों और एक वर्ग अथवा ग्रेड के कर्मचारियों के लिए छुट्टी के लिए अनिवार्य विवाचन की व्यवस्था है।

इस योजना के अंतर्गत विवाचन बोर्ड (जेसीएम) की स्थापना जुलाई, 1968 में की थी। बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य हैं। अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति, बोर्ड के विवाद को न्याय निर्णयन के लिए गेजते समय, दो सदस्यों को इसके द्वारा रखे गए कर्मचारी पक्ष तथा कार्यालयी पक्ष दोनों के सदस्यों के पैनल में से करता है।

बोर्ड को 259 मामले भेजे गए थे तथा बोर्ड ने 257 मामलों को निपटा दिया है।

सीएलएस–2

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 22 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय (सीजीआईटी) हैं जिनकी स्थापना औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत की गई है। विभिन्न राज्यों में स्थापित इन सीजीआईटी में से 10 सीजीआईटी गैर–योजनागत हैं और 12 सीजीआईटी योजनागत हैं। इन सीजीआईटी का मूल कार्य केन्द्रीय क्षेत्र के औद्योगिक विवादों को निपटाना है। उच्चा न्यायालय के न्यायाधीश (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) अथवा जिला/अपर जिला न्यायाधीश (सेवारत या अवकाश प्राप्त) इन सीजीआईटी के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब तक, जहां तक महिला/लिंग समानता का प्रश्न है, सीजीआईटी में दोनों से जुड़ी न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां की जाती हैं।